रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072020-220579
CG-DL-E-19072020-220579

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 18, 2020/आषाढ़ 27, 1942
No. 168] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 18, 2020/ASHADHA 27, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2020

मामला सं. (एसजी) 01/2020

विषय : भारत में "सोलर सेल चाहे उसे "माड्यूल अथवा पैनल में असेम्बल किया हुआ हो अथवा नहीं" के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच – अंतिम जांच परिणाम – सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 और सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आंकलन) नियमावली, 1997 – के अंतर्गत कार्यवाही के संबंध में।

फा.सं.22/1/2020-डीजीटीआर.—

(क) <u>परिचय</u>

1. दिनांक 15 जनवरी, 2020 का एक आवेदन मेरे समक्ष तीन भारतीय उत्पादकों अर्थात (i) मै. मुन्द्रा सोलर पीवी लिमिटेड, अदानी हाउस, मीठा खाली 6 रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009, गुजरात; (ii) मै. जुपिटर सोलर पॉवर लिमिटेड, काथा गांव, डाकघर बादी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 173205; और (iii) मै. जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड, काथा गांव, डाकघर बादी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश - 173205 की ओर से इंडियन सोलर मैन्यूफक्चर्रस एसोसिएशन (आईएसएमए) द्वारा सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आंकलन) नियमावली, 1997 (इसके पश्चात् "नियमावली" के रूप में भी संदर्भित) के नियम 18 के अंतर्गत **भारत में "सोलर सेल चाहे उसे "माड्यूल अथवा पैनल में असेम्बल किया हुआ हो अथवा नहीं"**

(इसके पश्चात इसे "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" के रूप में भी संदर्भित) के आयातों के विरुद्ध मौजूदा रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाए जाने की मांग करते हुए दायर किया गया था।

2. विचाराधीन उत्पादन पर मौजूदा रक्षोपाय शुल्क पीयूसी के बढ़े हुए आयातों के कारण हुई गंभीर क्षति से घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत में **"सोलर सेल चाहे उसे "माड्यूल अथवा पैनल में असेम्बल किया हुआ हो अथवा नहीं" के आयातों पर** प्रथम वर्ष के दौरान 25 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से, अगले छह महीने के दौरान 20 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से और अगले छह महीने के दौरान 15 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 16 जुलाई, 2018 को इस नियमावली के नियम 11 (1) के अंतर्गत महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा जारी किए गए अंतिम जांच परिणामों तथा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के अनुसरण में लगाया गया था। उक्त जांच परिणाम के आधार पर तथा इस नियमावली के नियम 12 और 14 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम 1975(1975 का 51) की धारा 8ख की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने दिनांक 30 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. 01/2018- सीमा शुल्क (एसजी) के माध्यम से निम्नलिखित दर पर रक्षोपाय शुल्क भारत में आयात किए जाने पर उक्त सीमा प्रशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक सं. 8541.40.11 के अंतर्गत आने वाले "सोलर सेल चाहे उसे "माड्यूल अथवा पैनल में असेम्बल किया हुआ हो अथवा नहीं" पर लगाया।

(i) जब 30 जुलाई, 2018 से 29 जुलाई, 2019 (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) के दौरान आयात किए जाने पर भुगतान योग्य 25 प्रतिशत यथामूल्य जिसमें पाटनरोधी शुल्क घटाया गया हो, यदि कोई हो;

(ii) जब 30 जुलाई, 2019 से 29 जनवरी, 2020 (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) के दौरान आयात किए जाने पर भुगतान योग्य 20 प्रतिशत यथामूल्य जिसमें पाटनरोधी शुल्क घटाया गया हो, यदि कोई हो; और

(iii) जब 30 जनवरी, 2020 से 29 जुलाई, 2020(दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) के दौरान आयात किए जाने पर भुगतान योग्य 15 प्रतिशत यथामूल्य जिसमें पाटनरोधी शुल्क घटाया गया हो, यदि कोई हो;

3. इसके अलावा, उक्त अधिसूचना के द्वारा सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उप धारा (6) के नियम (क) के अंतर्गत चीन और मलेशिया को छोड़कर अधिसूचित विकासशील देशों से पीयूसी के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से छूट दी गई।

4. सीमा प्रशुल्क शीर्षक के 8541 4011 - "सोलर सेल चाहे उसे "माड्यूल अथवा पैनल में असेम्बल किया हुआ हो अथवा नहीं" को निम्नलिखित दो शीर्षकों में वित्त अधिनियम 2020 (सं. 2020 का 12) की धारा 117(बी) के साथ उसकी अनुसूची III की प्रविष्टी सं. 2 के साथ पठित को दिनांक 01.02.2020 से विभाजित किया गया है:

8541 4011- सोलर सेल असेम्बल न किया हुआ

8541 4012- सोलर सेल जिसे माड्यूल में असेम्बल किया गया हो अथवा पैनल में बनाया गया हो

5. दिनांक 2 फरवरी, 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 1/2020-सीमा शुल्क (एसजी) के माध्यम से यहां ऊपर में उल्लेख किए गए दो नए प्रशुल्क शीर्षकों को दिनांक 30 जुलाई, 2018 की पूर्व की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 1/2018-सीमा शुल्क (एसजी) में एकमात्र प्रशुल्क शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।

6. इस प्रकार से मौजूदा रक्षोपाय शुल्क सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के अध्याय 85 की प्रशुल्क शीर्षक 85414011 और/अथवा 85414012 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने योग्य "सोलर सेल चाहे उसे "माड्यूल अथवा पैनल में असेम्बल किया हुआ हो अथवा नहीं" पर लागू किया जाता है। हालांकि सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से दिनांक 16 जुलाई, 2018 की अंतिम जांच परिणामों में यथा उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

7. उल्लिखित आवेदन जिसका संदर्भ उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में लिया गया है, के आधार पर और गंभीर क्षति के साक्ष्य के संबंध में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य तथा यह कि घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है, के आधार पर अपने आप को संतुष्ट करने पर, महानिदेशक ने दिनांक 3 मार्च, 2020 की जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस (एनओआई) सं. 22/1/2020-डीजीटीआर के माध्यम से पीयूसी पर रक्षोपाय

शुल्क को लगातार लगाए जाने की आवश्यकता की जांच करने के लिए इस नियमावली के नियम 18 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 8 ख के अनुसार एक समीक्षा जांच शुरु की।

8. उक्त नियमावली के नियम 6 के उप नियम (2) और (3) के साथ पठित नियम 18 के अनुसार, जांच की शुरुआत संबंधी दिनांक 3.03.2020 के नोटिस की एक प्रति और दिनांक 15.1.2010 के आवेदन के अगोपनीय पाठ(एनसीवी) की एक प्रति जिसे घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने केन्द्र सरकार, प्रमुख निर्यातक देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से और उक्त आवेदन में उल्लिखित हितबद्ध पक्षकारों को अग्रेषित किया गया था। इसके अलावा, इस नियमावली के नियम 6(4) के अंतर्गत यथानिर्धारित हितबद्ध पक्षकारों से सूचना की मांग करने वाली एक प्रश्नावली इस अनुरोध के साथ ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अग्रेषित किया गया था कि वे जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के जारी होने के तिथि से 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोणों से अवगत कराएं।

9. जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में, या तो हितबद्ध पक्षकारों के रूप में विचार करने के लिए अनुरोध अथवा लिखित अभ्यावेदन निम्नलिखित पक्षकारों से प्राप्त हुए थे:

1.	मै. इंडियन सोलर मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन
2.	मै. जुपिटर सोलर पॉवर लिमिटेड
3.	मै. जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड
4.	मै. मुन्द्रा सोलर पीवी लिमिटेड
5.	इंडोनेशियन एम्बेसी
6.	मलेशिया की सरकार
7.	चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट ऐंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी ऐंड इलैक्ट्रानिक प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई)
8.	मै. एसीएमई सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड
9.	मै. सोलर पॉवर डवलपर्स एसोसिएशन
10.	मै. कैनेडियन सोलरमैन्युफैक्चरिंग (थाइलैंड) कं., लि.,
11.	मै. आल इंडिया सोलर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
12.	मै. शापूरजी पालोंजी इन्फ्रास्ट्रैक्चर कैपिटल कंपनी प्रा. लि.
13.	मै. अजुरे पॉवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
14.	काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट ऐंड वाटर
15.	मै. आरईसी सोलर प्रा. लि., सिंगापुर
16.	मै. विक्रम सोलर लि.
17.	ताइपेई इकनॉमिक ऐंड कल्चरल सेंटर
18.	मै. सुझोउ तालेसन सोलर टेक्नोलाजिस कं., लि.
19.	मै. एसबी एनर्जी प्रा. लि.
20.	मै. जीआरटी ज्वैलर्स (इंडिया) प्रा. लि.
21.	मै. एक्मे क्लीनटेक सॉल्युशंस प्रा. लि.
22.	मै. एएमपी एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
23.	मै. अवादा अनंतपुरमु सोलर प्राइवेट
24.	मै. आयाना एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

25.	मै. एमवी फोटोवोल्टाइक पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
26.	मै. गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड
27.	मै. टेपसोल फोटोवोल्टाइक पॉवर वेंचर्स प्राइवेट
28.	मै. नार्थ इंडिया मॉडयुल मैन्युफैक्चरर्सएसोसिएशन (एनआईएमएमए)
29.	मै. इन्सोलेशन एनर्जी प्रा. लिमिटेड (एनआईएमएमए के बिहाफ पर)
30.	मै.मै. पतंजलि रेनेवेबल एनर्जी प्रा. लि.
31.	मै. रिन्यूजेज इंडिया प्रा. लि.
32.	मै. वेबसोल एनर्जी सिस्टम लि.
33.	मै. विराज सोलर महाराष्ट्रा प्रा. लि.

10. प्राधिकारी ने डीजीटीआर की वेबसाइट पर हितबद्ध पक्षकारों की सूची आमंत्रित की।

11. सभी अगोपनीय पाठ (एनसीवी) की प्रस्तुति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहुंच को आसान बनाने के लिए, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को कोविड-19 संकट के कारण सार्वजनिक फाइल तक पहुंच बनाने में उनके द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए ई-मेल के माध्यम से एक दूसरे के साथ अपने एनसीवी अनुरोधों का आदान-प्रदान करने की सलाह दी।

12. एक मौखिक सुनवाई 3 जुलाई, 2020 को आयोजित की गई थी। इस नियमावली के नियम 6 के उप नियम (6) के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से प्रस्तुत किए गए विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें। किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए लिखित अनुरोधों की प्रति सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को एक दूसरे के लिए उपलब्ध कराई गई थी जैसाकि मौखिक सुनवाई में सलाह दी गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों के प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी दिया गया था।

13. सार्वजनिक सुनवाई के अनुसरण में अथवा अन्य प्रकार से, सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की उपयुक्त रूप से जांच की गई है और उनका समाधान संगत पैराओं के अंतर्गत किया गया है। चूंकि अन्य मुद्दे दोहराए गए हैं अत: उनका सामूहिक रूप से समाधान संगत पैराओं में किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का सत्यान डेस्क अध्ययन के द्वारा उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया।

(ख) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

14. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का सारांश नीचे दिया गया है:

i) निर्यातक देशों की सरकारें

15. इंडोनेशिया, मलेशिया और ताइवान की सरकारों ने महानिदेशक(रक्षोपाय) से अपने दृष्टिकोण अवगत कराए।

16. मौखिक सुनवाई के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए लिखित अनुरोधों में, इंडोनेशिया ने यह तर्क दिया कि (क) आयातों में वृद्धि और अप्रत्याशित घटनाक्रम को भी समीक्षा में देखे जाने की आवश्यकता है (ख) इंडोनिशिया को मूल जांच में रक्षोपाय शुल्क को लागू किए जाने से बाहर रखा गया था क्योंकि इंडोनेशिया से आयात भारत में कुल आयातों का 3 प्रतिशत से कम था और उसे बाद की किसी समीक्षा के अंतर्गत वैसा ही रहना चाहिए और (ग) इंडोनेशिया से वर्तमान आयात 3 प्रतिशत की न्यूनतम स्तर से कम होना जारी है और तद्नुसार इंडोनेशिया से आयातों पर कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

17. मौखिक सुनवाई के लिए दायर लिखित अनुरोधों में, मलेशिया सरकार ने प्रस्तुत किया कि (ए) विचाराधीन उत्पाद के आयात ने जुलाई **2018** में सुरक्षा शुल्क लगाने के पद को काफी कम कर दिया है और मलेशिया को अनुच्छेद **9 (1)** के अनुसार बाहर रखा जाना चाहिए सुरक्षा, और (ख) समझौते के अनुच्छेद **12 (2)** के अनुसार सुरक्षा पर

समझौते, एक उपाय के विस्तार के मामले में, सबूत है कि संबंधित घरेलू उद्योग को समायोजित कर रहा है, को भी सुरक्षा उपायों पर समिति को प्रदान किया जाएगा। मलेशिया ने सुरक्षा उपाय के लागू होने के बाद घरेलू उद्योग के समायोजन योजना के विकास के इच्छुक पक्ष को सूचित करने का सुझाव दिया ।

18. ताईवान ने मौखिक सुनवाई के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए अपने लिखित अनुरोधों में निम्नलिखित मुद्दों को उठाया:

(i) रक्षोपाय संबंधी करार का अनुच्छेद 8 निर्यातक देशों को गैट 1994 के अंतर्गत काफी हद तक समतुल्य रियायतों अथवा अन्य दायित्वों को स्थगित रखने का अधिकार देता है यदि रक्षोपाय शुल्क की अवधि 3 वर्ष से अधिक हो।

(ii) इस याचिका में उपलब्ध कराई गई सूचना अन्य चार वर्षों की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क विस्तार किए जाने के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे का समर्थन नहीं करता है।

(iii) इस करार के अनुच्छेद 2.1 में यह प्रावधान है कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए, घरेलू उत्पादन के सापेक्ष अथवा स्वतंत्र रूप में आयातों में वृद्धि होनी चाहिए। भारत में कुल आयात 2017-18 में 9,790 मेगा वाट से घटकर 2019-20 में 8,754 मेगा वाट (वार्षिकीकृत) हो गया है।

(iv) ताईवान से आयात 2017-18 में 393 मेगा वाट से घटकर 2019-20 में 24 मेगावाट हो गया है। कुल आयातों में ताईवान का हिस्सा 2019-20 में लगभग 0.28 प्रतिशत है।

(v) घरेलू उद्योग के घटकों में से एक घटक विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है। प्राधिकारी ने मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों में स्पष्ट रूप से यह देखा था कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई को रक्षोपाय जांच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के भाग के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग के रूप में आवेदकों का आधार और गंभीर क्षति के दावे का आंकलन केवल घरेलू उद्योग के शेष दो घटकों के आधार पर किया जाना चाहिए।

(vi) संशोधित समायोजन योजना पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग ने मूल जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए समायोजन योजना की अपनी पूर्ति और अनुपालन के संबंध में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। यदि 25 से 15 प्रतिशत के बीच में रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना घरेलू उद्योग को अपनी मूल समायोजन योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति नहीं देता है, इस संबंध में कोई निश्चितता नहीं है कि संशोधित समायोजन योजना तब कार्यान्वित की जाएगी जब 15 प्रतिशत से कम रक्षोपाय शुल्क लागू रहेगा।

(vii) घरेलू उद्योग की याचिका में जांच की अवधि के दौरान बाजार हिस्सा, उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग, घरेलू बिक्री आदि में उपलब्ध कराई गई सूचना पर्याप्त सुधार को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति का नहीं हो रही है।

(viii) भारत के संघीय बजट 2020-21 के अनुसार, हम नोट करते हैं कि भारत ने सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में "सोलर सेल, असेम्बल नहीं किया हुआ" के लिए प्रशुल्क मद 8541.4011 और "सोलर सेल मॉडयूल में असेम्बल किया हुआ और पैनलों में तैयार किया हुआ" के लिए प्रशुल्क मद 8541.4012 बनाते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव किया है और यह कि 20 प्रतिशत के प्रशुल्क दर को 2 फरवरी, 2020 से लागू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। हमारी चिंता यह है कि भारत द्वारा इन उत्पादों पर बढ़ाए गए प्रशुल्क विश्व व्यापार संगठन में भारत की शून्य प्रतिबद्धता से अधिक हो गया है।

ii) निर्यातक देशों से निर्यातक अथवा व्यापार अथवा व्यापार संघ

19. निर्यातक देशों से निम्नलिखित निर्यातक और व्यापार अथवा व्यापार संघो ने इस समीक्षा में अनुरोध किए हैं:

(i) आरईसी सोलर प्रा. लि.("आरईसी सोलर")

(ii) कैनेडियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग (थाइलैंड) कं. लि. ("कैनेडियन सोलर")

(iii)चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट ऐंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी ऐंड इलैक्ट्रानिक प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई)

20. आरईसी सोलर द्वारा जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में और मौखिक सुनवाई में किया गया अनुरोध:

(i) इस नियमावली के नियम 18 के अनुसार, नियम 5,6,7 और 11 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित समीक्षा जांच पर लागू होते हैं। तद्नुसार किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए समीक्षा आवेदन को बढ़े हुए आयातों, गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे, बढ़े हुए आयातों और कथित गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध और आयात प्रतिस्पर्धा के प्रति समारात्मक समायोजन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों अथवा किए जाने की योजना वाले प्रयासों अथवा दोनों प्रयासों के संबंध में विवरण के बारे में पर्याप्त साक्ष्य के द्वारा सिद्ध की जानी होती है। जांच की शुरुआत का अनुपालन नियम 5 के अंतर्गत अपेक्षाओं से नहीं किया जाता है।

(ii) यदि घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग की याचिका के साथ प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था तब इसका यह आशय होता है कि माननीय महानिदेश द्वारा जांच किए गए आवेदन में समायोजन की योजना शामिल नहीं थी। इस प्रकार से, यदि इस वर्तमान समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए आवेदन में संशोधित समायोजन योजना शामिल नहीं थी तब इस प्रकार से माननीय महानिदेशक ने भारतीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत इस अपेक्षा का पालन नहीं किया है।

(iii) आवेदक दो कारणों से – (क) जेआईएल विचाराधीन उत्पाद का एक "उत्पादक"नहीं है क्योंकि यह केवल पुन: उद्देश्य करने और वृद्धिक जॉब कार्य करता है (ख) घरेलू उद्योग जैसाकि पहचान किया गया है, घरेलू उद्योग के क्षेत्र के भीतर जेआईएल को शामिल करते हुए अथवा उसके बिना कुल घरेलू उत्पादन के बड़े हिस्से का प्रतिनिधिक नहीं है,"घरेलू उद्योग" के रूप में विचार किए जाने के लिए मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

(iv) अल्फा उत्पाद का डिजाइन सिंगापुर द्वारा तथा यूरोप सहित अन्य क्षेत्राधिकारों में सरकारों के द्वारा जारी किए गए डिजाइन पेटेंट के अंतर्गत किया जाता है। भारत में उनके द्वारा बनाए गए डिजाइन अनुप्रयोग लंबित हैं। पेटेंट किए हुए डिजाइन के उपयोग के कारण, यह उत्पाद – (i) प्रोपराइटरी उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, उत्कृष्ट गुणवत्ता , स्थान कार्यक्षम, और अपेक्षाकृत अधिक पर्यावरण अनुकूल होता है (ii) भारतीय बाजार में अपेक्षाकृत अधिक कीमत इसे प्राप्त होती है और (iii) यह भारत में निर्मित वस्तुओं के अनुरूप सभी अर्थों में न तो सदृश्य और न ही एक जैसा होता है। अल्फा उत्पाद को पीयूसी के कार्यक्षेत्र के बाहर रखा जाएगा क्योंकि इसका पेटेंट किया गया है और इस प्रकार से बाहर रखना चीन जन.गण., जापान, कोरिया, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान (चीनी ताइपेई), थाईलैंड और यूएसए के दिनांक 24 नवंबर, 2009 के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की जांच में भारतीय प्राधिकारी के निर्णय जहां स्टेनलेस स्टील के कुछ पेटेंट किए गए ग्रेडों को बाहर रखा गया था, के अनुरूप होगा।

(v) नियम 2(ड.) में दो परिस्थितियों के लिए प्रावधान है जिसमें किसी उत्पाद को "समान वस्तु" के रूप में घोषित किया जा सकता है। अनेक मामलों में विश्व व्यापार संगठनों के पैनलों और अपीलीय निकाय में "समानता" जैसे जापान – एल्कोहालिक बिविरेज और कनाडा – पीरियोडिल्स का परीक्षण का सहारा लिया है। विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय ने सीमा कर समायोजन संबंधी कार्यशील पक्षकार की रिपोर्ट 1970 में उल्लिखित मूल दृष्टिकोण का समर्थन किया है। दिनांक 8 दिसएंबर, 2009 की हॉट रोल्ड कॉयल्स/शीट/स्ट्रिप्स के आयात के विरुद्ध रक्षोपाय जांच के अंतिम जांच परिणामों में महानिदेशक (रक्षोपाय शुल्क) द्वारा जैसा कि देखा गया है, इन उत्पादों की समानता का आंकलन भौतिक विशेषताओं, अंतिम उपयोग, निर्माण की प्रक्रिया और कीमत संबंध पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

(vi) वर्तमान समीक्षा जांच में आयात की मात्राओं में किसी वृद्धि अथवा कमी का निर्धारण करने के लिए आधार वर्ष मूल जांच के साथ अतिव्याप्त नहीं होना चाहिए। हालांकि, इसे वर्तमान मामले में भी अपनाया नहीं गया है जहां सभी आंकड़ों के विश्लेषण और अनुमानों के लिए आधार वर्ष के रूप में 2016-17 को लिया गया है।

(vii) केवल छह महीने के आयात आंकड़े वर्ष 2019-20 के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार के आयात आंकड़ों को वर्ष 2019-20 के लिए आयात संबंधी मात्रा को तय करने के लिए "वार्षिकीकृत" नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार का वार्षिकीकरण विश्व व्यापार संगठन के डीएसबी के द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार और संगत प्रावधानों के अंतर्गत यथा अपेक्षित वास्तविक आयातों का साक्ष्य नहीं होगा।

(viii) आयातों में मामूली वृद्धि के आधार पर ही बढ़े हुए आयातों का सकारात्मक निर्धारण करना पर्याप्त नहीं होगा। यद्यपि आयातों की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान मामूली वृद्धि हुई है फिर भी यह वृद्धि गंभीर क्षति के लिए तीव्र, अचानक अथवा पर्याप्त नहीं है जैसाकि डब्ल्यूटीओ/डएस-121 अर्जेन्टीना-फुटवियर (ईसी) में डब्ल्यूटीओ डीएसबी अपीलीय निकाय द्वारा व्याख्या की गई है।

(ix) ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि यदि मार्च, 2020 के आयात संबंधी आंकड़ों पर विचार किया जाए तब पीयूसी का आयात वास्तव में बढ़ने के बजाय 2018-19 से एक प्रतिशत तक कम हुआ है जैसाकि घरेलू उद्योग द्वारा वार्षिकीकृत आंकड़ों के आधार पर दावा किया गया है।

(x) रक्षोपाय जांच में क्षति का निर्धारण उस आधार पर नहीं किया जा सकता है जिस आधार पर पाटनरोधी अथवा प्रति संतुलनकारी शुल्क जांच में किया जाता है। और यह कि इसका विश्लेषण निश्चित रूप से उच्चतर मानदंड पर किया जाना चाहिए। "गंभीर क्षति" पारिभाषिक शब्दावली को भी परिभाषित रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.12(क) में किया गया है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अत्यधिक सुधार किया है। उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, उत्पादकता आदि में वृद्धि हुई है। प्रतिवादी का यह दावा है कि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का उपयोग तथा उत्पादन में वृद्धि करने में सक्षम रहा है लेकिन कहीं भी इसने यह दर्शाया नहीं है कि घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के संबंध में आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है।

(xi) रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.2(ख) में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि बढ़े हुए आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए "बढ़े हुए आयातों को उत्तरदायी नहीं माना जाएगा"। घरेलू कीमतें में इसी गिरावट का कारण वैश्विक स्तर पर विचाराधीन उत्पाद की गिरती हुई कीमतों और न कि भारत में विचाराधीन उत्पादों के आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन, यदि कोई हो, को बढ़े हुए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ कारक जो बढ़े हुए आयातों और कथित गंभीर क्षति और उसके खतरे के बीच कारणात्मक संबंध के न होने को दर्शाता है, मांग और आपूर्ति में अंतर, भारतीय सौर निर्माण उद्योग की अन्तर्निहित कमियां, गंभीर क्षति के न होने तथा आयातों मे वृद्धि को दर्शाने में अपर्याप्तता है।

(xii) घरेलू उद्योग की क्षमता के उपयोग में 2016-17 में 44 प्रतिशत से 2019-20 के दौरान 75 प्रतिशत (वार्षिकीकृत) तक वृद्धि हुई है जो 70 प्रतिशत तक समतुल्य वृद्धि है। उसी प्रकार से घरेलू उद्योग के घरेलू उत्पादन में 2016-17 में 100 सूचकांक-मेगावाट अंक से 2019-20 के दौरान 171 सूचकांक-मेगावाट अंक (वार्षिकीकृत) तक वृद्धि हुई है जो 71 प्रतिशत तक समतुल्य वृद्धि है। घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बिक्री में मात्रा के मामले में 2016-17 में 100 सूचकांक-मेगावाट से 2019-20 में 166 सूचकांक –मेगावाट(वार्षिकीकृत) तक वृद्धि हुई है। यह कहना सही नहीं है कि घरेलू बिक्री में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट हुई है।

(xiii) घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा सर्वाधिक हाल की अवधि में तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। यह भी अवश्य नोट किया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2018-19 में 60 सूचकांक प्रतिशत अंकों से 2019-20 में 124 सूचकांक प्रतिशत अंकों (वार्षिकीकृत) तक वृद्धि हुई है जो उस वर्ष में 64 प्रतिशत तक समतुल्य वृद्धि है जबकि आयातों के बाजार हिस्से में वास्तविक रूप में उसी अवधि के दौरान 3 सूचकांक प्रतिशत अंकों तक गिरावट देखी है।

(xiv) घरेलू उद्योग को कीमत में कटौती की गणना करने में एमएसपीएल को शामिल नहीं करना चाहिए। इस याचिका में दी गई कटौती सही नहीं है और उसकी गणना फिर से की जानी चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी

को वर्तमान जांच में उचित विश्लेषण के उद्देश्य से शीघ्रातिशीघ्र संशोधित आंकड़े फिर से प्रस्तुत करने के लिए घरेलू उद्योग को निदेश देना चाहिए।

(xv) कीमत में कटौती की गणना एमएसपीएल अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र के एकक सहित घरेलू उत्पादकों द्वारा वसूली जाने वाली औसत कीमतों के आधार पर की जाती है। कीमत में कटौती की गणना करने में, विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सोलर सेल केलिए कीमत में कटौती 2016-17 में 55-65 प्रतिशत से घटकर जांच की अवधि के दौरान 0-10 प्रतिशत तक हो गई है। उसी प्रकार से, सोलर मोड्यूल के लिए कीमत में कटौती 2017-18 में 35-45 प्रतिशत से घटकर जांच की अवधि के दौरान 5-15 प्रतिशत तक हो गई हे।

(xvi) कुछ कारक जो बढ़े हुए आयातों और कथित गंभीर क्षति तथा उसके खतरे के बीच कारणात्मक संबंध में विच्छेद को दर्शाते हैं , उनकी सूची नीचे दिए गए अनुसार है:

क. मांग और आपूर्ति में अंतर

ख. भारतीय सौर निर्माण उद्योग में अंतर्निहित करना

ग. बढ़े हुए आयातों को दर्शाने में अपर्याप्तता

घ. कथित गंभीर क्षति का ना होना

(xvii) भारतीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 18 में घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित है कि वे माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सकारात्मक रूप से समायोजन करें और निर्दिष्ट प्राधिकारी रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाए जाने के लिए सिफारिश करें। घरेलू उद्योग को जुलाई, 2018 से शुल्क संरक्षण मिल रहा है और उसने अभी तक समायोजन योजना के अनुसार सकारात्मक रूप से समायोजन करने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किए हैं। घरेलू उद्योग ने पीईआरसी प्रौद्योगिकी अथवा द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी परियोजना जो एक अन्य कदम था जिसका वे शुल्क संरक्षण प्राप्त करते समय उठाना चाहते थे, के उपयोग पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। घरेलू उद्योग ने सकारात्मक समायोजन के संबंध में दस्तावेज संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अलावा, प्रश्नावली के उत्तर के साथ उपलब्ध कराई गई संशोधित समायोजन योजना अस्पष्ट और अत्यधिक गोपनीय है। घरेलू उद्योग को कम से कम मूल रक्षोपाय जांच के दौरान उपलब्ध कराई गई समायोजन योजना तथा वर्तमान समीक्षा जांच में उपलब्ध कराई गई समायोजन योजना के बीच तुलना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराना चाहिए था।

(xviii) घरेलू उद्योग ने इस तथ्य का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि इस प्रकार से विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाए जाने का प्रतिकूल प्रभाव उपभोक्ताओं/प्रयोक्ता उद्योग पर पड़ेगा और भारत में प्रयोक्ता उद्योग/उपभोक्ता अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।

(xix) रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना जन हित में नहीं हैं। वैश्विक स्तर पर तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि प्रयोक्ता उद्योग घरेलूउद्योग से अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप विचाराधीन उत्पाद प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, प्रयोक्ता उद्योग के पास विदेशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। चूंकि उनकी परियोजनाओं को घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता न होने के कारण बंद किया जा सकता है अत: इस प्रकार से शुल्कों को लगातार लगाए जाने से आयात वित्तीय रूप से गैर-अर्थक्षम बन जाएगा। यह भारत में प्रयोक्ता उद्योग केहित को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा।

(xx) शुल्क को लगातार लगाए जाने से आयातों के लिए व्यापार संबंधी अवरोध उत्पन्न होगा जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा एकाधिकार बन जाएगा और इसके फलस्वरूप डाउन स्ट्रीम उद्योगों जो देश में सामूहिक रूप से बहुत अधिक मात्रा में रोजगार देते हैं, को क्षति होगी। यदि इस शुल्क को हटा लिया जाता है तब उनके पास और अधिक रोजगार उत्पन्न करने की विशाल संभावना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 दिसंबर, 2017 को एक अवधारणा नोट

जारी किया गया था जिसमें इसने इस बात का उल्लेख किया; "प्रति वर्ष वर्तमान अधिकतम सोलर सेल निर्माण क्षमता 20 गीगा वाट अर्थात 15 प्रतिशत की औसत आवश्यकता के विरुद्ध लगभग 3 गीगा वाट ही है। शेष क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदा जाना होता है"। भारत में विचाराधीन उत्पादों के आयातों में वृद्धि के लिए घरेलू आपूर्ति की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारतीय सौर निर्माता अप्रचलित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते रहे हैं और वे घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बहुत अधिक अपर्याप्त है।

(xxi) हालांकि भारतीय निर्माताओं के पास एक समन्वित उत्पादन चेन का आधार है। इसके फलस्वरूप उनमें अन्तर्निहित कमियां हैं जिसके कारण वे वैश्विक कंपनियों के विरुद्ध अप्रतिस्पर्धी हो गये हैं।

(xxii) घरेलू उद्योग ने एक वर्ष में 0.05 प्रतिशत की मामूली दर से इस शुल्क को उदार बनाने का प्रस्ताव किया है जो अपने आप में यह दर्शाता है कि यह सकारात्मक रूप से समायोजित करने के लिए इच्छुक नहीं है। इस कमी की विषमता को देखते हुए इतनी कम उदारीकरण के बारे में किसी रक्षोपाया जांच में नहीं सुना गया है। मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों में भी, माननीय प्राधिकारी ने तीन चरणों में 5 प्रतिशत कटौती की सिफारिश की है।

(xxiii) भारत की सरकार का विचारधीन उत्पाद के आयातों पर 20 प्रतिशत तक मूल सीमा शुल्क ("बीसीडी") तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह 15 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क के मौजूदा अधिरोपण की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक होगी और यह 14.95 प्रतिशत शुल्क के अतिरिक्त है जिसका घरेलू उद्योग में समीक्षा में अनुरोध किया है। बीसीडी में वृद्धि के योग के साथ घरेलू उद्योग अब अपने हितों की रक्षा करने के लिए रक्षोपाय शुल्क की आवश्यकता नहीं है। बीसीडी में वृद्धि के अलावा रक्षोपाय शुल्क के फलस्वरूप समग्र प्रयोक्ता उद्योग जो पहले से आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है पर अपरिवर्तनीय नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(xxiv) 2019-20 के दौरान, भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों का 94 प्रतिशत तीन देशों – चीन जन.गण -75 प्रतिशत, थाईलैंड – 10.2 प्रतिशत और वियतनाम – 9.4 प्रतिशत से हुआ। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात न केवल चीन जन.गण, थाईलैंड और वियतनाम से बहुत अधिक मात्रा में भारत में हो रहा है बल्कि वियतनामऔर थाईलैंड से आयात कीमत में भी जांच की समग्र अवधि के दौरान सतत् रूप से कमी आई है। जहां घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार कार्य-पद्धति जैसे कम कीमत पर आयातों से हानि हो रही है, यह उपचार पाटनरोधी प्रावधानों के अंतर्गत और न कि रक्षोपाय प्रावधानों के अंतर्गत है।

21. जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में और अपने लिखित अनुरोधों में तथा कनाडा के सोलर द्वारा की गई मौखिक सुनवाई में निम्नलिखित अनुरोध किए गए:

(i) थाईलैंड से आयातों की मात्रा को इस याचिका में बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। थाईलैंड से आयात उस स्थिति में 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं जब घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार आयात की मात्रा पर विचार कुल आयातों की मात्रा और थाइलैंड से आयातों की मात्रा का आंकलन करने के लिए किया जाता है। वे वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 अर्थात जांच की अवधि के प्रथम दो वर्षों में तीन प्रतिशत से कम थे। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसमें यह प्रावधान हो कि प्राधिकारी को जांच की अवधि में पिछले 18 महीने की अवधि पर विश्वास करना चाहिए।

(ii) नियम 18 (1)(i) में उन देशों पर नए सिरे से रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का प्रावधान नहीं है जो मूल रूप से रक्षोपाय शुल्क के अध्यधीन नहीं थे। तद्नुसार, मूल जांच के अनुसरण में रक्षोपाय शुल्क के क्षेत्र से बाहरकिए गए विकासशील देशों को समीक्षा के अनुसरण में शामिल नहीं किया जा सकता है।

(iii) यदि इस तरह के विस्तार की आवश्यकता वाली कोई असाधारण परिस्थितियां न हों तब रक्षोपाय शुल्क का विस्तार सामान्य रूप से समीक्षा में नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) यदि ऐसे विस्तार की आवश्यकता वाली असाधारण परिस्थितियां न हों तब रक्षोपाय शुल्क का विस्तार सामान्य रूप से समीक्षा में नहीं किया जाना चाहिए। अन्य अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क के विस्तार के फलस्वरूप रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 8 के अनुसार भारत और निर्यातक विश्व व्यापार संगठन

देशों के बीच गैट 1994 के अंतर्गत मौजूदा रियायतों और अन्य दायित्वों के पर्याप्त रूप से समतुल्य स्तर को स्थगित करना पड़ेगा।

(v) मूल जांच में प्राधिकारी ने आई टी करार ("आईटीए-1") के अनुसरण में पीयूसी के आयातों पर 0 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क के बाध्यकारी प्रशुल्क रियायत पर विश्वास किया। एचएस कोड 8541 4011 और 8541 4012 के अंतर्गत प्रशुल्क दर को पहले ही 1 फरवरी, 2020 से वित्त अधिनियम, 2020 के माध्यम से 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार से अब यह आशा है कि वे सोलर सेल और मॉडयूल के आयात पर सीमा शुल्क की दर में इस वृद्धि को लगाने के लिए अपने निर्णय की घोषणा करें। यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या आईटीए-1 भारत की स्वतंत्र कार्यवाही कोरोकता है और इसे सोलर सेल और माडयूल के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने से रोकता है। किसी भी मामले में यह सुनिश्चित करना कि भारत विश्व व्यापार संगठन के विरोधी रवैये को सूचित नहीं करता है, रक्षोपाय शुल्क और सीमा शुल्क दोनों नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या 20 प्रतिशत की मूल सीमा शुल्क उसी प्रकार से लगाई गई है जिस प्रकार से सीमा प्रशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उस पर विचार किया गया है, घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण मिलेगा और 15 प्रतिशत की अतिरिक्त रक्षोपाय शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं है।

(vi) सोलर सेल और सोल मॉड्यूल्स की अलग अलग भौतिक विशेषताएं, अलग अलग उपयोग, अलग अलग कीमत निर्धारण और अलग अलग उत्पादन की प्रक्रिया है और इन्हें वर्तमान रक्षोपाय समीक्षा में घरेलू उद्योग के आधार का निर्धाण करने के उद्देश्य से पृथक रूप से माना जाना चाहिए। प्राधिकारी को इस बात का आकलन अवश्य करना चाहिए कि क्या इन याचिकाकर्त्ताओं द्वारा संबद्ध वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है जैसाकि पाटनरोधी जांचों में प्राधिकारी द्वारा (क) चीन जन.गण से फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नकल्स तथा (ख) चीन और मेक्सिको से पेंसिलिन – जी और 6एपीए के संबंध में किया गया है।

(vii) सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल के आधार का आकलन पृथक रूप से किया जाना चाहिए। सोलर सेल की उनकी उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए, अनेक अलग-अलग पीवी सेल को बंद, वाटरप्रूफ पैकेज में एक साथ अंतर-संयोजन किया जाता है जिसे मॉड्यूल कहा जाता हे। सोलर म्‌ाडयूल का अलग अलग स्वतंत्र उत्पादक है जो सोलर सेल के उत्पादक नहीं हैं। इन मॉडयूल उत्पादकों के उत्पादन को इन घरेलू उत्पादन से अलग नहीं रखा जा सकता है। सोल सेल और सोलर मॉडयूल के कुल भारतीय उत्पादन पर इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग का हिस्सा कुल उत्पादन में बड़ा हिस्सा होता अथवा नहीं। यदि वैसा किया जाता है तब यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करेगा कि घरेलू उद्योग के पास सोलर मॉड्यूल के लिए पर्याप्त आधार नहीं है क्योंकि भारत में कुल माड्यूल उत्पादन में इन याचिकाकर्ताओं का हिस्सा बहुत कम है और यह बहुत बड़ा हिस्सा नहीं माना जाएगा।

(viii) दिनांक 6 सितंबर, 1997 के व्यापार नोटिस एसजी/टीएन/1/97 में आवेदन का प्रपत्र तथा आवेदन में दिए जाने वाले आंकड़ों का प्रपत्र दिया गया है। हालांकि याचिकाकर्ताओं कंपनियों ने अनेक आर्थिक मानदंडों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है जो गंभीर क्षति के आंकलन के लिए संगत नहीं है और डीजीटीआर द्वारा जारी किए गए दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनंबंध I की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है जिसमें इस याचिका के गोपनीय और अगोपनीय पाठ में सूचना के प्रकटन के लिए दिशा-निर्देश दिया गया है। घरेलू उद्योग ने व्यापार नोटिस का उल्लंघन करते हुए ऐसी अत्यधिक गोपनीयता के लिए किसी सही कारण को भी नहीं दर्शाया है। याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका के परिशिष्ट 10 पर गोपनीयता के दावे को खारिज कर दिया जाएगा।

(ix) विश्व व्यापार संगठन के रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.2, करार के अनुच्छेद 2.1 और इस नियमावली के नियम 18 के संबंध में रक्षोपाय शुल्क तभी लगाया अथवा इसका विस्तार किया जा सकता है जब संबद्ध उत्पाद के "आयातों में वृद्धि" हो। केवल छह माह के आयात आंकड़े उपलब्ध हैं। इस प्रकार के आयात आंकड़ों को वर्ष 2019-20 के लिए आयात संबंधी मात्रा तय करने के लिए "वार्षिकीकृत" नहीं किया जा

सकता है क्योंकि इस प्रकार का वार्षिकीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख(1), विश्व व्यापार संगठन के रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 और रक्षोपाय की नियमावली के नियम 11 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित वास्तविक आयातों का साक्ष्य नहीं होगा। लौह और इस्पात उत्पादों के आयातों पर कुछ उपायों के मामले में भारत में विश्व व्यापार के पैनल ने यह नोट किया कि पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए वस्तुपरक आंकड़े पिछले दो वर्षों की तुलना में प्रवृत्ति के आकलन के लिए अपेक्षित है।

(x) भारत में पीएक्स-13 अथवा 6पीपीडी (रबड़ केमिकल) की रक्षोपाय समीक्षा तथा भारत में फिनोल की रक्षोपाय समीक्षा में महानिदेशक रक्षोपाय ने इस बात की जांच की कि क्या आयातों में अथवा न कि भारत में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयातों में वृद्धि की आवश्यकता रक्षोपाय समीक्षा पर भी लागू है।

(xi) वर्तमान रक्षोपाय समीक्षा में, घरेलू उद्योग को यह दर्शाना चाहिए कि 2017-18 के बाद के प्रवर्ती वर्षों अर्थात 2018-19 और वर्ष 2019-20 में आयातों में लगातार वृद्धि हुई है। हालांकि, आयात संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि इस अवधि में आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आयातों में वृद्धि बिल्कुल हाल का, अचानक, तीव्र और अधिक होना चाहिए था जिससे कि "गंभीर क्षति" उत्पन्न हो अथवा होने का खतरा हो।

(xii) आयातों में वृद्धि को 2016-17 के आधार वर्ष की तुलना में नहीं देखा जाना चाहिए। इस याचिका में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार हाल की अवधि में आयातों में उस स्थिति में गिरावट हुई है जब 2017-18 को आधार वर्ष के रूप में माना गया हो।

(xiii) चीन जन.गण से आयातों में रक्षोपाय शुल्क को 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक क्रमिक कटौती के बावजूद पिछले दो वर्षों के दौरान रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की अवधि के दौरान वृद्धि नहीं हुई है। इस प्रकार से यह आशंका कि यदि रक्षोपाय शुल्क को 29 जुलाई, 2020 के बाद आगे शून्य प्रतिशत तक कम कर दिया जाता है तब इसके परिणामस्वरूप चीन जन.गण से आयातों में वृद्धि होगी, का कोई आधार नहीं है।

(xiv) याचिकाकर्ता कंपनियों को रक्षोपाय संबंधी करार अनुच्छेद 4.1(ग) तथा इस अधिनियम की धारा 8ख(6)(ख) के संबंध में घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उनका सामूहिक उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा नहीं होता है।

(xv) इसके अलावा, यह याचिका निम्नलिखित को प्रकट नहीं करता है:

(क) सेल और माड्यूल की याचिकाकर्ता कंपनियों का कुल उत्पादन

(ख) सेल और माडयूल का कुल भारतीय उत्पादन

(ग) सेल और मॉडयूल में कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता कंपनियों का प्रतिशत हिस्सा

(घ) दो याचिकाकर्ता कंपनियों जिनका डीटीए में इकाईयां हैं सेल और मॉड्यूल में प्रतिशत हिस्सा (विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों के उत्पादन को अलग करने के बाद) ।

(xvi) घरेलू उद्योग ने कुल भारतीय उत्पादन और जांच की अवधि के दौरान इसके कुल उत्पादन का समस्त आंकड़ों को प्रकट नहीं किया है। कुल भारतीय उत्पादन गोपनीय नहीं हो सकता है क्योंकि यह सूचना विशेष रूप से घरेलू उद्योग से संबंधित नहीं है। इस सूचना के प्रकटन नहीं किए जाने पर, कोई प्रभावी प्रति उत्तर अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस दावे के उत्तर में नहीं किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग का समग्र जांच की अवधि के दौरान कुल भारतीय उत्पादन में 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा था। यदि याचिकाकर्ता कंपनियां सूचना प्रकट करने के लिए इच्छुक नहीं हो तब प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे रक्षोपाय नियमावली के नियम 7(3) के संबंध में इस प्रकार की सूचना को अस्वीकार कर दें।

(xvii) प्राधिकारी को इस बात का भी सत्यापन करना चाहिए कि क्या डीटीए में स्थित दो याचिकाकर्ता कंपनियों की क्षमता अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 के दौरान कुल भारतीय उत्पादन में 55-60 प्रतिशत हिस्सा होगा। क्योंकि उनकी मिश्रित क्षमता केवल 390 मेगा वाट है।

(xviii) जुपिटर इंटरनेशनल लि. मूल जांच में याचिकाकर्ता कंपनी नहीं थी। यह याचिका "(i) मूल जांच में जुपिटर इंटरनेशनल लि. को शामिल न किए जाने का कारण (ii) वर्तमान समीक्षा जांच में जुपिटर इंटरनेशनल लि. को शामिल किए जाने का कारण (iii) जांच की अवधि के दौरान जुपिटर इंटरनेशनल लि. की स्वतंत्र क्षमता, उत्पादन और बिक्री (iv) जुपिटर इंटरनेशनल लि. द्वारा संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन को आरंभ करने की तिथि के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

(xix) विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाईयों में स्थित याचिकाकर्ताओं को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उनका प्राथमिक लक्ष्य निर्यात बाजार की मांग को पूरा करना है। इलैक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स मामले में महानिदेशक रक्षोपाय के दिनांक 27 सितंबर, 2012 के अंतिम जांच परिणामों जहां डब्ल्यू एस आई इंडस्ट्रीज (विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित) को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर रखा गया था, विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है, जैसाकि डीजीटीआर द्वारा जारी किए गए पाटनरोधी मामलों के लिए प्रचालन कार्य-पद्धति मैनुअल में उल्लेख किया गया है।

(xx) यदि मुन्द्रा सोलन पीवी लिमिटेड को घरेलू उद्योग क्षेत्र से बाहर किया जाता है तब, घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत में काफी हद तक कमी आएगी।

(xxi) घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन नहीं कर रहा है। इन्डोसोलर लि. अब चालू नहीं रह गया है और यह दिवालियापन की प्रक्रिया का सामना कर रहा है तथा दस और कंपनियां भी इस अवधि के दौरान बंद हो गई हैं। रक्षोपाय शुल्क घरेलू उद्योग को सकारात्मक रूप से समायोजित करने की अनुमति नहीं दे रहा है और इस कारण से रक्षोपाय शुल्क का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(xxii) इस याचिका में न दी गई परंतु प्रत्येक याचिकाकर्ता कंपनी के प्रश्नावली के उत्तर में दी गई संशोधित समायोजन योजना को गोपनीय के रूप में माना गया है। याचिकाकर्ता कंपनियों ने उसका अगोपनीय सारांश भी उपलब्ध नहीं कराया है।

(xxiii) रक्षोपाय नियमावली के नियम 17 में नियमित अंतरालों पर शुल्क के प्रगामी उदारीकरण का प्रावधान है। नियमित अंतरालों पर रक्षोपाय शुल्क के उदारीकरण की आवश्यकता एक प्रतिकात्मक आवश्यकता नहीं है और इसे केवल प्रत्येक वर्ष के अंत में 0.05 प्रतिशत तक रक्षोपाय शुल्क कम करते हुए पूरा किया नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के शुल्क के कम उदारीकरण के लिए अनुरोध यह दर्शाता है कि रक्षोपाय शुल्क को जारी रखा जाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह समायोजन को आसान बनाने के लिए उपयोगी नहीं होगा।

(xxiv) रक्षोपाय निमावली के नियम 18 में यह अपेक्षित है कि रक्षोपाय शुल्क को गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। याचिकाकर्ता कंपनियों को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति का खतरा नहीं हो रहा है। डब्ल्यू टी/डीएस 178-यूएस-लैम्ब में अपीलीय निकाय के निर्णय के संबंध में, गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति का खतरा होने को आसानी से नहीं माना जा सकता है। प्राधिकारी को अपने आप को घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों के मूल्यांकन के आधार पर संतुष्ट करना चाहिए कि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति "गंभीर" प्रकृति की है।

(xxv) घरेलू उत्पादक जो बाजार हिस्से में गिरावट का अनुभव नहीं कर रहे हैं को इस आवेदन में घरेलू उद्योग के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ता कंपनियेां के बाजार हिस्से में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तुओं अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में काफी हद तक कमी आई है। वास्तविक क्षति का वस्तुपरक आंकलन अन्य भारतीय उत्पादकों जो बाजार हिस्से में गिरावट का अनुभव कर रहे हैं, के कार्य-निष्पादन की जांच किए बिना नहीं की जा सकती है।

(xxvi) आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की क्षमता, बिक्री और उत्पादन में जांच की अवधि में बहुत अधिक सुधार हुआ है। यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को कर्मचारी और प्रतिदिन उत्पादकता के मामले में कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी है। दोनों मानदंडों में अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है। इस कारण से घरेलू

उद्योग को बिल्कुल क्षति नहीं हुई है, समग्र हानि की प्रकृत्ति जिसे गंभीर क्षति के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, में क्षति की बात छोड़ ही दी जाए।

(xxvii) कीमत में कटौती का निर्धारण रक्षोपाय शुल्क को जोड़ने के बाद किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, कीमत में कटौती का रुझान यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योगक द्वारा आयातों और लाभ/हानि जिसका अनुभव किया गया है, द्वारा कीमत में कटौती के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। 2016-17 में, घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा था, वर्ष 2017-18 में, हालांकि घरेलू उद्योग द्वारा आधार वर्ष से 41 सूचकांकों तक कम की गई कीमत में कटौती के कारण हानि होना शुरु हो गया। वर्ष 2018-19 में, कीमत में कटौती सेल और मॉड्यूल दोनों के लिए न्यूनतम थी हालांकि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानि अधिकतम थी।

(xxviii) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि के दौरान लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। आयातों का बाजार हिस्सा स्थिर रहा है और इसके कारण जांच की अवधि के दौरान इसमें केवल 2 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

(xxix) रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 पर घरेलू उद्योग की निर्भरता यह तर्क देने के लिए है कि विकासशील देशों को किसी समीक्षा के अनुसरण में शुल्क लगाए जाने के क्षेत्र के भीतर शामिल नहीं किया जा सकता है, सही नहीं है क्योंकि यदि विकासशील देशों से आयातों को अलग करने की समीक्षा आवधिक आधार पर की जानी अपेक्षित थी, रक्षोपाय करार इस प्रकार के उद्देश्य के लिए समीक्षा तंत्र उपलब्ध कराया होता। यदि विकासशील देशों को रक्षोपाय शुल्क के दो वर्षों के बाद शुल्क के क्षेत्र में शामिल किया जाता है तब एक असंबद्ध कार्य-पद्धति सृजित हो जाएगी जिसके फलस्वरूप अनुमान लगाना कठिन होगा।

(xxx) फिनोल रक्षोपाय जांच घरेलू उद्योग के तर्क का समर्थन नहीं करता है क्योंकि उक्त उत्पाद पर शुरु किए गए समीक्षा कार्यवाही में, एसजीडी अन्य विकासशील देशों पर लागू नहीं किया गया था जिन्हें मूल शुल्क के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था। एक तीसरी समीक्षा जांच इस बात का आंकलन करने के उद्देश्य से प्रथम समीक्षा के समाप्त होने के बाद किया गया था कि क्या अन्य देशों से फिनोल के आयात में वृद्धि हुई थी।

(xxxi) घरेलू उद्योग ने गलत तरीके से घरेलू उद्योग के बचे रहने के साथ रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने को समतुल्य माना है। भारत में अन्य मॉड्यूल उत्पादकों (i) पतंजलि नवीकरणीय ऊजा प्रा. (ii) गोल्डी सोलर प्रा. लि. ने विशेष रूप से सोलर सेल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने पर आपत्ति की हे। उन्होंने उल्लेख किया है कि स्वदेशी सेल निर्माण मुश्किल से 3 गीगा वाट है जो मॉड्यूल निर्माताओं की आवश्यकता का केवल 25 प्रतिशत होता है। दोनों कंपनियों ने सोलर सेल के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का विस्तार किए जाने के विरुद्ध विरोध किया है क्योंकि सोलर मॉड्यूल का निर्माण आयातों पर निर्भर करता है। यदि घरेलू उद्योग का यह दावा कि आयातों में कटौती सामान्य तौर पर जनहित में है, को स्वीकार कर लिया जाता है तब इसका अभिप्राय यह होगा कि रक्षोपाय शुल्क भारत में सभी आयातों पर लगाया जाना चाहिए जिसके लिए भारत में घरेलू उत्पादक है। जनहित की आवश्यकता की जांच विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में और न कि भारत में आयातों की तुलना में सामान्य रूप से की जानी है।

(xxxii) एसजीडी को जारी रखने के फलस्वरूप छह वर्षों की कुल अवधि के लिए इसे लगाना होगा। भारत में पिछले 25 वर्षों में किसी उत्पाद पर छह वर्षों की लगातार अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया है।

22. मै. सीसीसीएमई द्वारा जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में और अपने लिखित अनुरोधों में तथा मौखिक सुनवाई में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) प्राधिकारी ने केवल दो कंपनियों अर्थात जुपिटर इंटरनेशनल लि. और जुपिटर सोलर पॉवर लिमिटेड को ही घरेलू उद्योग के क्षेत्र के लिए माना है और मुन्द्रा सोलर प्राइवेट लि.(विशेष आर्थिक क्षेत्र) को बाहर रखा है। हालांकि जेआईएल और जेएसपीएल के क्रियाकलापों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। चूंकि जेएसपीएल, जेआईएल के आदेशों के अनुसार संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने वाला एकमात्र जॉब वर्कर है, उसे घरेलू उद्योग के भाग के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह एक नया घटनाक्रम है जिसे मौखिक सुनवाई के समय तक याचकाकर्ताओं द्वारा छुपा लिया गया था।

(ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र की ईकाई पर घरेलू उद्योग के भाग के रूप में फिर से विचार करने के लिए याचिकाकर्ताओं का अनुरोध सही नहीं है क्योंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 53 में यह प्रावधान है कि एक

विशेष आर्थिक क्षेत्र को अधिकृत क्रियाकलापों के उद्देश्य से भारत के सीमा शुल्क प्रक्षेत्र के बाहर एक प्रक्षेत्र माना गया है। इसके अलावा, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम की धारा 30(क) में यह प्रावधान है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र से डीटीए तक हटाई गई किसी वस्तु पर रक्षोपाय शुल्कों सहित सीमा शुल्क जहां भी ऐसी वस्तुओं पर लागू हो, तब वसूला जाएगा जब उसका आयात किया जाएगा जो निर्यातोन्मुख इकाईयों पर भी लागू एक शर्त है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित याचिकाकर्ताओं और निर्यातोन्मुख एककों में याचिकाकर्ताओं को घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि वे विभिन्न प्रोत्साहनों और लाभों जो उन्हें मिलता है, के कारण अलग वाणिज्यिक स्थिति पर नहीं हैं। इस कारण से विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों पर घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के द्वारा प्रभाव नहीं पड़ता है और तद्नुसार घरेलू उद्योग में विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों को शामिल करने के लिए कोई कारण नहीं है।

(iii) कुछ उत्पादों जिसमें भारतीय घरेलू उद्योग का उत्पादन करने की बिल्कुल नहीं अथवा अपर्याप्त क्षमता है अर्थात् महीन फिल्म उत्पाद, मोनो क्रिस्टिलिन सोलर उत्पाद और सोलर सेल को संबद्ध वस्तुओं के क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए।

(iv) सोलर सेल मॉड्यूल के लिए कच्चा माल है। कई अन्य मालों और अतिरिक्त उत्पादन प्रक्रियाओं की आवश्यकता सोलर सेल से मॉड्यूल का निर्माण करने के लिए होती है। इस कारण से वे अलग-अलग उत्पाद हैं जिनकी आवश्यकता विभिन्न प्रकार के ग्राहकों द्वारा महसूस की जाती है। इन तथ्यों पर विचार करते हुए, सोलर मॉड्यूल को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए।

(v) मै. जुपिटर सोलर पॉवर लिमिटेड और मै. जुपिटर इंटरनेशनल लि. द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत किया गया संशोधित समायोजन योजनाएं अपर्याप्त और अनुपयुक्त हैं। पैथेलिक एनहाइड्राइड (पैन), पीब-13 अथवा 6पीपीडी (रबड़ केमिकल्स), 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील का कोल्ड रोल्ड फलैट प्रोडक्ट, भारत में अनराउट एल्युमिनियम का अलॉयड इनगोट्स नहीं, लचीला स्लैब स्टॉक पोलियोल (एफएसपी) के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच में, महानिदेशक ने उस स्थिति में एसजीडी लगाने से इंकार किया है जब घरेलू उद्योग समायोजन योजना के संबंध में दस्तावेज और उसके समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया। याचिकाकर्ता ने केवल लागतों में कमी का दावा किया लेकिन उन कदमों के बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जो उन्होंने समायोजन करने के लिए उठाया है और यह कि क्या जिन कदमों को उन्होंने उठाया है और लागत में कटौती के बीच कोई संबंध है। प्रश्नावली के उत्तर में भी, उनके समायोजन का ब्यौरा बहुत संक्षिप्त है।

(vi) घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित समायोजन योजना में, निर्माण की लागत ने नीचे की ओर की प्रवृत्ति दर्शाई है। इसे मुख्य कच्चा माल अर्थात सिलिकॉन वेफर्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम होती कीमतों द्वारा आगे बढ़ाया गया है। उत्पादन की लागत में कटौती, वैश्विक स्तर पर कच्चे माल की कीमतों में कटौती के कारण समायोजन योजना के सकारात्मक कार्यान्वियन को नहीं ठहराया जा सकता है।

(vii) यह दावा कि समायोजन योजना रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए आवश्यक नहीं है, सही नहीं है क्योंकि सीमा प्रशुल्क का नियम 5(2)(ख) जो आवश्यक परिवर्तनों सहित रक्षोपाय समीक्षाओं पर लागू है, में समायोजन योजना को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(viii) रक्षोपाय को तभी अपनाया जा सकता है जब बढ़े हुए आयातों के कारण गंभीर क्षति होने का साक्ष्य हो और इस प्रकार की वृद्धि गैट के अनुच्छेद XIX:1(क) के अनुसार प्रत्याशित घटनाक्रमों तथा अर्जेन्टीना – फुटवियर (ईसी) पर अपीलीय निकाय द्वारा पुष्टि किए गए अनुसार परिणामके रूप में ही हुआ होगा। भावी आवेदकों के लिए प्रश्नावली का प्रपत्र उनसे यह अपेक्षा करता है कि वे अप्रत्याशित घटनाक्रम जिसे आवेदक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, के मौजूद होने के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराएं। चीन जन.गण से भारत में 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के हॉट राल्ड फैल्ट उत्पादों के मामले में जारी किए गए अंतिम जांच परिणामों और यूएस – लैम्ब पर विश्वास किया गया जिसमें यह माना गया था कि अप्रत्याशित घटनाक्रमों के न होने पर एसजीडी नहीं लगाया जा सकता।

(ix) चीन जन.गण से आयातों में वृद्धि का कारण कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है बल्कि भारत सरकार का ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का संबंध करने की परिकल्पना है जिसके फलस्वरूप सोलर सेल और मॉडयूल के लिए मांग में वृद्धि हुई है। मांग और आपूर्ति में अंतर को चीन जन.गण और अन्य देशों से पर्याप्त घरेलू आपूर्ति के न होने पर

आयातों के द्वारा भरा जाना होगा। घरेलू उद्योग ने केवल यह तर्क दिया कि शुल्क को लगाया जाना अप्रत्याशित है परंतु इस बात की उपेक्षा की कि इस प्रकार के घटनाक्रमों और आयातों में वृद्धि के बीच कारणात्मक संबंध में आवश्यक है। भारतीय बाजार एक मुक्त एवं मांग उन्मुक्त बाजार है इसलिए आयातों में वृद्धि अन्य देशों द्वारा व्यापार उपचार उपायों को लगाने के बजाय मांग में वृद्धि के द्वारा होती है। अत्यधिक क्षमताओं को गैट के अनुच्छेद XIX के अभिप्राय से अप्रत्याशित घटनाक्रम के रूप में नहीं देखा जा सकता है। 2005 के स्तरों से सीओ2 के उत्सर्जन में 33-35 प्रतिशत तक कमी आने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, भारत का लक्ष्य 2022 तक 100 गीगा वाट सौर उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य है और इसे अप्रत्याशित भी नहीं माना जा सकता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय करार के अंतर्गत प्रतिबद्धताएं अप्रत्याशित हो सकती हैं परंतु यह तथ्य कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और उसके कारण प्रभाव पड़ सकता है और संगत बाजार में बदलाव आ सकता है, वास्तव में प्रत्याशित है।

(x) वह उद्देश्य जिसके लिए याचिकाकर्ता शुल्क को जारी रखने का अनुरोध करते हैं क्षति का उपचार करने के लिए नहीं बल्कि बाजार में अपने एकाधिकार अथवा दबदबा वाली स्थिति बनाए रखने के लिए अवैध तरीकों से अन्यायोचित व्यापार संरक्षण प्राप्त करना है। घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। आयातों को आपूर्ति और मांग में अंतर को दूर करने के लिए किया जाना है। एसजीडी लगाए जाने के नकारात्मक प्रभाव में निम्नलिखित शामिल रहेगा: (1) भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार संबंध (2) भारत में विभिन्न डाउनस्ट्रीम उद्योग और उपभोक्ता (3) सोलर सेल उद्योग का स्वस्थ विकास तथा इसके कारण बहुत व्यापक स्तर पर वर्तमान सरकार द्वारा आरंभ की गई ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव भी पड़ेगा। मिथाइल एसिटोएसिटेट के संबंध में अंतिम जांच परिणामों में, महानिदेशक रक्षोपाय ने एसजीडी लगाए जाने की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि घरेलू उद्योग यह दर्शाने के लिए सक्षम नहीं था कि उक्त उत्पाद पर एसजीडी लगाना जनहित में था।

(xi) आरंभिक स्तर पर, याचिकाकर्ता ने 2012 में एडीडी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सोलर सेल के आयातों पर शुल्क की सिफारिश की। हालांकि कोई भी एडीडी इस प्रकार की सिफारिशों के अनुसरण में नहीं लगाया गया था क्योंकि घरेलू सौर क्षमता हरित ऊर्जा के स्रोतों से बिजली के उत्पादन के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। बाद में, 2017 में, याचिकाकर्ताओं ने फिर से पाटनरोधी शुल्क की मांग की परंतु उस जांच को बाद में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए “अतार्किक और अन्यायोचित आधारों” के कारण याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर समाप्त कर दिया गया था।

(xii) सेल का निर्माण करने के साथ जुड़ी हुई अत्यधिक लागत की मांग घरेलू उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक निर्माता के अनुसार, 100 मेगा वाट सेल निर्माण करने की सुविधा के लिए भूमि और अवसंरचना की लागतों को छोड़कर 800 मिलियन रुपए (10.53 मिलियन डॉलर)का निवेश आवश्यक है। हालांकि 100 मेगा वाट सेल की सुविधा विशेष रूप से चीन की सेल से आयात किए गए सेल की कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए वही किफायती उत्पादन नहीं होगा। 500 मेगा वाट की आदर्शतम क्षमता वही है, जो लाभप्रद होगा जिसके लिए 4 बिलियन रुपया (52.63 मिलियन डॉलर) के निवेश की जरूरत है। यद्यपि घरेलू निर्माता निवेश करने का निर्णय तो लेते ही हैं फिर भी मांग की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि सरकारी नीतियां बिना अधिक सूचना के अक्सर बदल जाती हैं। जब घरेलू उद्योग की निर्माण क्षमता डीसीआर श्रेणी के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए अपेक्षित स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अत: आयातों पर शुल्क लगाना अथवा उसे नियंत्रित करना अस्पष्ट/बेतुका है जिसका प्रभाव समग्र उद्योग पर पड़ेगा।

(xiii) संबद्ध वस्तुओं के आयातों में विगत हाल में स्वतंत्र रूप में अथवा सापेक्ष रूप में कोई उछाल नहीं देखा गया है। हालांकि, 2016 से जांच की अवधि तक भारत में आयातों की वृद्धि का कारण आयातों का अचानक उछाल नहीं है बल्कि डाउनस्ट्रीम उद्योग के विकास के बाद भारतीय बाजार में विकास की मांग है।

(xiv) घरेलू उद्योग की बिक्री बहुत अधिक विकास के साथ सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष 2016-17 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। क्षमता क्षति कीअवधि के दौरान और जांच की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहती है। हालांकि, उत्पादन में 2019-20 के दौरान तेजी से वृद्धि हुई है। बिक्री की लागत में कमी आई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में सुधार हुआ है। तद्नुसार आधार वर्ष की तुलना किए जाने पर जांच कीअवधि के दौरान क्षमता के उपयोग में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार से संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

(xv) इस नियमावली का नियम 5(2)(ख) में यह उल्लेख है कि इस आवेदन का समर्थन किए गए प्रयासों अथवा किए जाने वाले प्रयासों अथवा आयात प्रतिस्पर्धा का समायोजन करने के लिए विवरण द्वारा किया जाएगा। चूंकि वर्तमान जांच मार्च, 2020 को आरंभ की गई थी। अत: 2019-20 के लिए प्रस्तावित समायोजन योजना निष्फल हो जाती है। सही माइने में, घरेलू उद्योग चार वर्षों के लिए रक्षोपाय शुल्क सभी मदों पर लगाया जाना चाहता है परंतु 20202 के बाद अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने की इसकी कोई योजना नहीं है।

iii) भारत में आयातक और व्यापार अथवा व्यापार संघ

23. भारत के निम्नलिखित आयातकों और व्यापार अथवा व्यापार संघों ने इस समीक्षा में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किया:

(i) सोलर पॉवर डवलपर्स एसोसिएशन ("एसपीडीए")

(ii) शापूरजी पालोंजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कं. लि.(" शापूरजी")

(iii)विक्रम सोलर लिमिटेड (" विक्रम")

(iv) पतंजलि रेनेवेबल एनर्जी प्रा. लि. (" पतंजलि")

(v) गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड (" गोल्डी")

(vi) रिन्यूजिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (" रिन्यूजिज")

24. एसपीडीए ने जांच की प्रक्रिया के दौरान कैनेडियन सोलर थाइलैंड द्वारा किए गए अनुरोधों को दोहराया है और उसका उल्लेख प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए फिर से नहीं किया गया है। केवल उन तर्कों जिन्हें विशेष रूप से एसपीडीए द्वारा उठाया गया है और कैनेडियन सोलर के अनुरोधों में उसका उल्लेख नहीं पाया गया है, उसे फिर से नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(i) एमएनआरई ने एलएमएम सूची-I(सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए) और एएलएमएम सूची-II(सोलर पीवी सेल के लिए) में बीआईएस मानकों का अनुपालन करते हुए सोलर पीवी सेल और मॉडयूल के मॉडलों और निर्माताें का सूचीयन का प्रावधान करते हुए सोलरपीवी सेलऔर मॉड्यूल के लिए मॉडल और निर्माता (एएलएमएम) की अनुमोदित सूची के संबंध में दिनांक 2.1.2019 का आदेश जारी किया था। इस सूची को 30 सितंबर, 2020 को प्रकाशित किया जाना निर्धारित है। इस कारण से महानिदेशक से अनुरोध किया जाता है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या याचिकाकर्ता कंपनियों ने विश्वसनीयता और संगठता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता प्राप्त करने हेतु सकारात्मक रूप से समायोजन किया है और वह उस सूची में शामिल किए जाने के योग्य है।

(ii) चीन जन.गण से आयातों में 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक रक्षोपाय शुल्क की क्रमिक कटौती के बावजूद रक्षोपाय शुल्क को लागू करने की अवधि के दौरान वृद्धि नहीं हुई है। इस प्रकार से यह आशंका कि 29 जुलाई, 2020 के बाद रक्षोपाय शुल्क में 0 प्रतिशत तक कटौती के फलस्वरूप चीन जन.गण. से आयातों में वृद्धि होगी, का आधार नहीं है।

(iii) इसके अलावा, यूरापीय यूनियन ने 3 सितंबर, 2018 से चीन के विरुद्ध सोलर सेल और मॉड्यूल पर पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को वापस ले लिया और इसके फलस्वरूप चीन से यूरोपीय संघ में निर्यातों में वृद्धि हुई है और चीन जन.गण. के निर्यातों में भारत के हिस्से में 29.6 प्रतिशत से 7.3 प्रतिशत तक का अनुपातिक रूप से गिरावट आई है। इस प्रकार से यदि रक्षोपाय शुल्क को वापस ले लिया जाता है तब चीन को भारत में अपने निर्यात बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(iv) इंडोसोलर लि. और विचाराधीन उत्पाद के दस अन्य घरेलू उत्पादक ने प्रचालन बंद कर दिया है अथवा दिवालियापन की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। इस कारण से घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजित नहींकर रहा है जिससे कि विस्तार की आवश्यकता पड़े।

(v) पिछले चार वर्षों की जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत में गिरावट पर निर्भरता सरल और भ्रामक है।

(vi) घरेलू उद्योग तर्कसंगत रूप से यह दावा नहीं कर सकता है कि विकसित देशों जैसे यूरोपीय यूनियन देश, ताईवान, सिंगापुर सहित सभी देश और थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि जैसे अन्य छोटे छोटे विकसित देश भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सस्ती और अनुचित कीमतों पर कर रहे हैं तथा उस स्थिति में भी घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रहे हैं जब घरेलू उद्योग ने पिछले दो वर्षों में सकारात्मक समायोजन के प्रति पर्याप्त कदम उठाया है।

25. शापूरजी द्वारा जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में और अपने लिखित अनुरोधों में तथा मौखिक सुनवाई में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) समीक्षा आवेदक यह सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि नियम 18(2) में उल्लिखित उन शर्तों को पूरा कर लिया गया है जिसे कि दो वर्ष की अवधि से आगे (जुलाई 2018 से जुलाई 2020 तक) रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाया जाना आवश्यक हो।

(ii) वर्तमान समीक्षा जांच विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क को पूर्व में लगाए जाने की वैधता को चुनौती देते हुए जो माननीय मद्रास हाइकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, कंपनी द्वारा फाइल की गई रिट याचिका के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

(iii) समीक्षा आवेदक रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 18 के साथ पठित धारा 8ख के संबंध में "घरेलू उद्योग" के रूप में योग्य नहीं हैं और उन्हें विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना जारी रखने के लिए समीक्षा आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। समीक्षा आवेदकों के पास घरेलू संस्थापिक क्षमता का एक बहुत छोटा हिस्सा है जो उन्हें घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने से अयोग्य ठहराता है और उन्हें समीक्षा आवेदन दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(iv) विचाराधीन उत्पाद के आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई है इस बात का आकलन कि क्या आयातों में कोई वृद्धि हुई है अथवा नहीं उन वर्षों के दौरान आयात संबंधी मात्राओं का विश्लेषण किया जाना चाहिए जिसमें रक्षोपाय शुल्क लगाया गया है अर्थात 2018-19 और 2019-20 और उसके साथ रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के तत्काल पूर्व के वर्ष अर्थात 2017-18 का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए जिसे दिनांक 16.7.2018 के जांच परिणामों में अंतिम वर्ष के रूप में माना जाएगा। ऐसे वर्ष (2017-18) के पूर्व किसी वर्ष से आयात संबंधी मात्राओं की तुलना करने का आशय यह होगा कि करार, सीपीए अथवा रक्षोपाय नियमावली में मूल जांच की जांच के अधीन अवधि के प्रथम वर्ष में आयातों की तुलना में आयात के कम होने तक जोकि यह मामला नहीं है, रक्षोपाय शुल्क लगाने की परिकल्पना है। स्वतंत्र रूप में और सापेक्ष रूप में (घरेलू बिक्री की तुलना में) आयातों का आकलन यह दर्शाता है कि उसमें वृद्धि नहीं हुई है।

(v) इस बात का कोई आकलन कि क्या घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है, पर आवश्यक रूप से विचार किया जाना चाहिए, न केवल सोलर सेल पर बल्कि सोल मॉडयूल/पैनलों पर भी जो विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा है, सकारात्मक शुल्क का प्रभाव और उसका आयात रक्षोपाय शुल्क के अध्यधीन रहा है।

(vi) यह दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उद्योग रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए सही तरीके समायोजित कर रहा है। समायोजन योजना के संबंध में घरेलू उद्योग ने अगले तीन वर्षों के लिए भावी कार्य-निष्पादन नीचे दिए गए अनुसार उपलब्ध कराया है:

i. यदि बेहतर नकद प्रवाह प्राप्त हो तब कच्चे माल की दीर्घावधि खरीद, दर और मात्रा में छूट।

ii. क्षमता का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग जिसके फलस्वरूप बेहतर परिवर्तन लागत होती हो।

iii. अर्ध निर्धारित और निर्धारित लागतों का बेहतर विभाजन।

iv. बेहतर क्रेडिट रेटिंग उधार की लागत को कम करेगा और ऋण की बेहतर सर्विसिंग करेगा।

v. बैकवर्ड एकीकरण के प्रति प्रयास और एक समग्र कार्य-प्रणाली विकसित करना।

vi. प्रौद्योगिकी का विकास एवं आर ऐंड डी।

(vii) समीक्षा आवेदकों ने केवल यह दर्शाया है कि उन्होंने लागत में कमी (कच्चे माल की, परिवर्तन लागत निर्धारित लागत) प्राप्त किया है। इसके अलावा, समीक्षा आवेदकों ने यह दर्शाने के लिए कोई आंकड़े नहीं दिए हैं अथवा कोई दावा नहीं किया है कि घरेलू उद्योग ने अन्य कार्य-निष्पादन (समायोजन योजना में) प्राप्त किया है अथवा उसेपूरा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाया है। घरेलू उद्योग यह दावा नहीं कर सकता है कि यह रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए यह दर्शाने के लिए सूचना/आंकड़े उपलब्ध कराए बिना सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है कि उपर्युक्त समायोजन योजना को पूरा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। इस प्रकार की सूचना/आंकड़ों को उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में, समीक्षा आवेदकों का दावा झूठा है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(viii) घरेलू उद्योग का तथा विचाराधीन उत्पाद के अन्य घरेलू निर्माताओं का आवश्यक आर्थिक आंकड़ा अस्पष्ट है जिसमें समीक्षा आवेदन का उपर्युक्त रूप से उत्तर देना कठिन बना दिया है। यह खाली औपचारिकता वाला उत्तर है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से पूर्व की अवधि अर्थात 30 जुलाई, 2018 से पूर्व की अवधि के लिए आर्थिक आंकड़े पर समीक्षा आवेदन में गलत तरीके से विचार किया गया है। सकल आंकड़े सूचीबद्ध आंकड़ों के बजाय दिया जाना चाहिए था।

(ix) घरेलू उद्योग किसी गंभीर क्षति का सामना नहीं कर रहा है जो रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाया जाना आवश्यक बनाएगा। आयातों में स्वतंत्र वृद्धि नहीं हुई है। सापेक्ष रूप में भी जब आयातों की मात्रा की तुलना घरेलू बिक्री से की जाती है तब यह देखा गया है कि आयात और घरेलू बिक्री दोनों में मात्रा संबंधी परिवर्तन मांग/खपत पर आधारित है। मात्रा और घरेलू बिक्री दोनों में गिरावट आई जब खपत में गिरावट आई थी। हालांकि, 2019-20 में जब खपत और मांग अधिक थी तब घरेलू बिक्री आयातों की तुलना में 101 प्रतिशत की बिक्री में वृद्धि के साथ पूर्व स्थिति में आ गई जिसमें केवल 9.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी। 2018 में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद, घरेलू बिक्री का बाजार हिस्सा आयातों के लिए उसी अवधि के वास्ते बाजार हिस्से में केवल 0.99 प्रतिशत वृद्धि के साथ तुलना किए जाने पर घरेलू उद्योग के लिए 2017-18 से 2019-20 तक बाजार हिस्से में लगभग 40.9 प्रतिशत वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़ रहा है। घरेलू बिक्री (मेगावाट में) स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि जबकि 2018-20 में गिरावट आई थी (खपत में कमी के कारण) बिक्री का वही स्तर पिछले वर्ष 2018-19 से 130.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2019-20 में फिर तेजी से बढ़ गया। इस कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि आयातों का घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2018-19 जब खपत/मांग कम थी, को छोड़कर, उत्पादन की मात्रा और क्षमता के उपयोग में इस प्रकार की मांग को पूरा करने के लिए वृद्धिक रूप से बढ़ोतरी हुई है। यह दर्शाता है कि आयातों का इस प्रकार के संकेतकों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

(x) यह तथ्य कि संस्थापित क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है, आयातों के कारण नहीं बल्कि अन्य आर्थिक कारकों को छोड़कर हुई है जो घरेलू उद्योग को परेशानी में डालता है।

(xi) लाभ और हानि के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 2019-20 में घरेलू उत्पादकों ने वर्ष 2018-19 के दौरान उठाई गई हानि से बहुत अधिक सुधार (91.1 प्रतिशत की सीमा तक) कर लिया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इन आयातों का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

(xii) कुछ अन्य संगत आर्थिक कारकों जैसे माल भंडार, कर्मचारियों की संख्या और प्रति कर्मचारी उत्पादकता के संबंध में आंकड़ों की भी तुलना की गई है। कर्मचारी की संख्या में कटौती/अवरुद्धता इस तथ्य के कारण हुई है कि सोलर सेल का निर्माण पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकीय उन्नति के साथ स्वचालित हो गई है। वर्ष 2019-20 में प्रति कर्मचारी उच्च उत्पादकता घरेलू उद्योग के घनात्मक विकास का द्योतक है जिसे आयातोंकेकारण गंभीर क्षति नहीं हुई है।

(xiii) कीमत में कटौती के लिए पद्धति(जिसे क्षति का मुख्य स्रोत माना जाता है) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जुपिटर इंटरनेशनल और जुपिटर सोलर पॉवर लिमिटेड के लिए मिश्रित संस्थापित क्षमता प्रत्येक कंपनी के लिए अलग-अलग संस्थापित क्षमताओं को उपलब्ध कराए बिना दिया गया है।

(xiv) समीक्षा आवेदकों ने वर्ष-वार क्षति रहित कीमत (और कम कीमत पर बिक्री का आधार) बिंदु का निर्धारण उसके लिए किसी पद्धति/आधार उपलब्ध कराए बिना और समीक्षा आवेदक के दावे का खंडन करने के लिए कंपनी के लिए इसे असंभव बनाते हुए उसी स्पष्ट, संदिग्ध और समझ में न आने योग्य आंकड़ों की तुलना में सूचीबद्ध रूप में आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।

(xv) घरेलू उत्पादकों ने सोलर सेल की लागत में काफी हद तक कटौती करने में सफल हुआ है और साथ ही साथ वे अपनी हानि को कम करने सहित उनके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार लाने में सफल हुआ है। ऐसे परिदृश्य में जहां घरेलू उद्योग उस समय वित्तीय रूप से सुधार कर रहा है जब समीक्षा आवेदक कीमत में कटौती का आरोप लगा रहे हैं, यह दर्शाता है कि घरेलू उत्पादकों को नि:संदेह रूप से प्रतिस्पर्धा देखते हुए आयातों की अपेक्षाकृत कम पहुंच मूल्य एकमात्र मानदंड है जो घरेलू उद्योग के प्रतिकूल है और वह क्षति का दावा करने के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

(xvi) कोई भी क्षति यदि थोड़ा भी हो तब वह उन आर्थिक कारकों के कारण हुआ है जिसका विचाराधीन उत्पाद के आयात से कोई लेना-देना नहीं है जो उस स्थिति में भी जारी रहेगा जब रक्षोपाय शुल्क को लगाया जाना जारी रखा जाएगा।

(xvii) रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से प्रतिस्पर्धी असुविधा होने पर घरेलू उद्योग के लिए निहित कारण को समाप्त करने में बहुत कम सहयोग मिलेगा और मांग एवं दृश्यता से संबंधित समस्याएं बनी रहेगी। जबकि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से भारतीय निर्माताओं के लिए इकाई लागतों में कमी आएगी और नकदी के प्रवाह में सुधार आएगा परंतु इस प्रकार के लाभ का प्रभाव अस्थाई ही होगा। कुछ प्रमुख कारक जो घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धी असुविधा के लिए जिम्मेदार हैं स्पष्ट रूप से दर्शा रहे हैं कि क्षति, यदि कोई हो, इस प्रकार के कारकों के कारण हुई है (और न कि आयातों में उछाल के कारण) और उन्हें यहां नीचे दिया गया है:

क. वित्त की अपेक्षाकृत अधिक लागत

ख. उच्चतर बिजली कीमतें

ग. अपेक्षाकृत कम किफायती उत्पादन

घ. वर्टिकल इंटिग्रेशन की कमी

ड. संस्थापित क्षमता में वृद्धि का अभाव

च. घरेलू उद्योग का क्षमता से कम उपयोग: आगे बढ़ाने में

छ. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद पर आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद पर भरोसा नहीं किया जा सकता

(xviii) रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाए जाने से जनहित में बाधा पहुंचेगी। इस संबंध में निम्नलिखित पर विचार कि जा सकता है:

i. इसके फलस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के आयातों में और आगे कमी आएगी (जो सोलर पॉवर परियोजनाओं का आवश्यक भाग होता है, और उसके द्वारा भारत के लिए 100 गीगा वाट सोलर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का के इस सम्मेलन के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव हो जाएगा।

ii. रक्षोपाय शुल्क लगाने के कारण मॉड्यूल की लागत में वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप बाद में परियोजना की लागत और बिजली प्रशुल्क की लागतों में वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप अवार्ड की गई परियोजनाएं और निविदाओं को रद्द करने में विलंब हुआ क्योंकि डवलपर ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(एमएनआरई) द्वारा सिफारिश की गई प्रशुल्क की उच्चतम सीमा की व्यवहार्यता के बारे में संदेह व्यक्त किया है।

iii. प्रशुल्क में वृद्धि के फलस्वरूप लगभग 5 गीगा वाट की अवार्ड की गई परियोजना क्षमता को रद्द करना पड़ा जो सरकार की 100 गीगा वाट सोलर बिजली क्षमता संस्थापित करने के लक्ष्य के लिए झटका था।

iv. परियोजना परिणाती अर्थात सोलर विद्युत परियोजनाएं अधिक सघन है और प्रति मेगा वाट लगभग 3.45 मेगा (यूटिलिटी) और 24.72 (रूफटॉप) प्रत्यक्ष पूर्णकालिक समतुल्य जॉब उपलब्ध कराता है। सोलर विद्युत परियोजनाओं में निरस्तीकरण/विलंब के फलस्वरूप रोजगार की विशाल संभावना में कटौती हुई।

v. अतिरिक्त सुरक्षोपाय शुल्क लागत की वसूली और परियोजनाओं को रद्द करने से संबंधित समस्याएं जिनके फलस्वरूप अनिश्चतता पैदा हुई और निवेशक की धारणा को चोट पहुंची।

vi. आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(सी) का उल्लंघन होगा जिसमें राज्य से यह अपेक्षित है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि की शर्तों के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए प्रयास करे।

vii. रक्षोपाय शुल्क लगाने के कारण स्वतंत्र मॉड्यूल निर्माताओं जिन्हें कच्चे माल की लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ा है क्योंकि वे आयात किए गए सोलर सेल पर अधिकांशत: निर्भर हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

viii. घरेलू रूप से उत्पादित सोलर सेल में से निर्मित घरेलू स्तर पर सोलर मॉड्यूल खरीदने के बजाय सोलर विद्युत डवलपर ने अपने लेन-देन को इस तरीके से संरचित किया ताकि जब रक्षोपाय शुल्क की दर न्यूनतम थी तब आयात किए गए सोलर सेल (जो अपेक्षाकृत सस्ता और गुणवत्ता में बेहतर था) से बनाए गए मॉड्यूल की अधिकांश राशि प्राप्त कर सके। सोलर सेल के घरेलू उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए रक्षोपाय शुल्क का अभीष्ट प्रभाव सीमित था।

ix. चीन की सरकार ने 2018 में सब्सिडी प्रदान करने की प्रणाली को बदलने का निर्णय लिया और सोलर परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोली की प्रणाली लागू की जिसके फलस्वरूप सोलर परियोजनाओं का विकास चीन में सीमित हो जाएगा। इसके फलस्वरूप चीन में घरेलू सोलर सेल के निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा है और उसके कारण कीमतों में बहुत अधिक गिरावट आई जिसके पास चीन की मांग पर अधिकांश रूप से निर्भर विशाल क्षमता है। ऐसी कीमतों को आयातों में भी दर्शाया गया है तथा यदि रक्षोपाय शुल्क को लगाया जाना जारी रखा जाता है तब भी आगे किसी कटौती की संभावना नहीं है – विशेषकर चूंकि यह अपेक्षाकृत कम दर पर ही लगाया जाएगा (पूर्व में लगाए गए शुल्क से कम)।

x. इस कारक के साथ-साथ कि रक्षोपाय शुल्क का परियोजना के निरस्तीकरण/विलंब के कारण सामान्य तौर पर सोलर उद्योग के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है अत: शुल्कों में वृद्धि आदि से आगे घरेलू उद्योग में निवेश प्रोत्साहित होगा और इसके परिणामस्वरूप जो आरंभ में उद्देश्य निर्धारित किया गया था उसका पूर्ण रूप से उल्टा प्रभाव पड़ेगा।

(xix) घरेलू उद्योग का सकारात्मक रूप से समायोजन करने का कोई उद्देश्य/क्षमता नहीं है। यह स्पष्ट है क्योंकि उन्होंने प्रत्येक वर्ष के अंत में केवल 0.05 प्रतिशत के उदारीकरण का प्रस्ताव किया है जिसके माध्यम से हुए लम्बी समय अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क का अधिकतम संरक्षण प्राप्त करने में सक्षम हो सके।

(xx) यदि घरेलू उद्योग का आरोप यह है कि पाटन के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होती है और उन्हें एक पृथक पाटनरोधी जांच का सहारा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कर, घरेलू उद्योग यह आरोप लगा नहीं सकते कि यह रक्षोपाय जांच के अंतर्गत एक आधार है।

26. मै. विक्रम द्वारा जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में अनुरोध और अपने लिखित अनुरोधों में और मौखिक सुनवाई में किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है:

(i) महानिदेशक(रक्षोपाय) को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख (6) के साथ पठित विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के अंतर्गत, सोलर सेल चाहे उसे मॉड्यूल में अथवा पैनलों में असम्बल किया गया हो अथवा नहीं पर लगाया गया रक्षोपाय शुल्क विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों से डीटीए को सोलर सेल और/अथवा मॉड्यूल की स्वीकृति पर भुगतान योग्य नहीं होगा।

(ii) यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों से डीटीए तक स्वीकृति रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के अध्यधीन हो तब विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयाँ डीटीए इकाईयों की तुलना में मुश्किल में होगी और एसईजेड इकाईयों का अप्राकृतिक मृत्यु होगी और हजारों लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ेगा।

(iii) इससे स्वदेशी स्तर पर निर्माण किए गए सेल और मॉड्यूल का उत्पादन करने के लिए देश की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कयोंकि वीएसएल जो विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर कार्य करता है, के पीवी सेल और मॉड्यूल सहित पीवी सेल और मॉड्यूल निर्माताओं द्वारा किया गया समग्र निवेश निष्क्रिय हो जाएगा।

(iv) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 की धारा 30 और सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख(6) के प्रावधानों के बीच व्याख्या संबंधी मुद्दे का निपटारा किए बिना अथवा अन्य प्रकार से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित इकाईयों को छूट दिए बिना रक्षोपाय शुल्क लगाना उत्पादों के विरुद्ध होगा और इससे शुल्क लगाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। रक्षोपाय शुल्क से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित इकाईयों को छूट दिए बिना रक्षोपाय शुल्क लगाने के कारण विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों को अपूर्णनीय क्षति होगी और इस प्रकार से घरेलू उद्योग को संपूर्ण रूप में समुचित रक्षोपाय संरक्षण नहीं मिलेगा।

27. मै. पतंजलि द्वारा जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में अनुरोध और अपने लिखित अनुरोधों में और मौखिक सुनवाई में किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है:

(i) सरकार को एक अन्य 3-4 वर्ष के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का विस्तार करना चाहिए लेकिन यह केवल मॉड्यूल के आयात पर होना चाहिए न कि सेल पर।

(ii) स्वदेशी सेल निर्माता मुश्किल से 3 गीगा वाट है (स्वदेशी मॉड्यूल निर्माण का 25 प्रतिशत)। इसलिए अधिकांश मॉड्यूल निर्मातओं को रक्षोपाय शुल्क का भुगतान करने के बाद चीन का सेल आयात करना होता है और यह स्वदेशी मॉड्यूल की लागत को बढ़ा देता है और वह चीन के मॉड्यूल से अधिक महंगा हो जाता है।

(iii) जब तक भारत के पास मॉड्यूल निर्माताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सेल निर्माण क्षमता है, एसजीडी को सेल पर जारी नहीं रखा जाना चाहिए ताकि स्वदेशी मॉड्यूल को कम किया जा सके।

28. मै. गोल्डी द्वारा जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में अनुरोध और अपने लिखित अनुरोधों में और मौखिक सुनवाई में किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है:

(i) सरकार को एक अन्य 3-4 वर्ष के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का विस्तार करना चाहिए लेकिन यह केवल मॉड्यूल के आयात पर होना चाहिए न कि सेल पर।

(ii) भारतीय निर्माता आगे सेल के उत्पादन में निवेश के साथ अपनी निर्माण क्षमताओं का काफी हद तक विस्तार करने के लिए उत्सुक है। हालांकि अपेक्षाकृत कम सेल के उत्पादन की क्षमता और अधिक मांग के कारण, अधिकांश मॉड्यूल निर्माताओं को सेल का आयात करना होता है और एसजीडी का भुगतान करना जरूरी होता है और इससे स्वदेशी मॉड्यूल की लागत में वृद्धि हो सकती है।

(iii) जब तक भारत के पास मॉड्यूल निर्माताओं की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है, एसजीडी को सेल के आयात पर जारी नहीं रखा जाना चाहिए ताकि स्वदेशी मॉड्यूल की लागत को कम किया जा सके।

29. मै. रिन्यूसिस द्वारा जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में अनुरोध और अपने लिखित अनुरोधों में और मौखिक सुनवाई में किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है:

(i) विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों के लिए सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख(6)(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग का गठन करने के उद्देश्य से किसी वस्तु के घरेलू उत्पादकों के रूप में विचार किए जाने के लिए कोई रोक नहीं है।

(ii) डीटीए को विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्वीकृतियों पर सीमा शुल्क नहीं लगता है क्योंकि भारत ने आईटीए:1 का हस्ताक्षरकर्ता होने के अनुसरण में विचाराधीन उत्पाद के लिए अपनी सीमा शुल्क हटाकर "'शून्य" कर दिया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित उत्पादकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के लिए डीटीए स्वीकृति पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों का यह दायित्व होता है कि वे सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफईद्व बनाए रखे। चूंकि डीटीए में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री पर विचार सकारात्मक एनएफई की गणना करने के उद्देश्य की जाती है अत: विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों को डीटीए में उसकी बिक्री करना जारी रखने में कोई बाधा नहीं है और सकारात्मक एनएफई बनाए रखने के उद्देश्य से भी निर्यात करने में कोई मजबूरी नहीं है।

(iii) कोई लदान नहीं है और वास्तव में एक विशिष्ट प्रावधान है जो इस प्रकार की विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों के द्वारा डीटीए में बिक्री को आसान बनाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों के द्वारा इस प्रकार की डीटीए की बिक्री घरेलू बाजार में डीटीए पर आधारित संबद्ध वस्तुओं के अन्य निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा करता है। इस कारण से विशेष आर्थिक क्षेत्र की ये इकाईयां संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादक भी हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयां डीटीए में सतत रूप से संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करती रही है कि वे डीटीए में संबद्ध वस्तुओं की स्वीकृति देते समय सीमा शुल्क के अध्यधीन नहीं हैं यूंकि सीमा शुल्क विचाराधीन उत्पाद पर "'शून्य" है।

(iv) इस तथ्य को देखते हुए कि कोई सीमा शुल्क डीटीए की स्वीकृति पर लगाने योग्य नहीं है, संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाली विशेष क्षेत्र की ये इकाईयां संबद्ध वस्तुओं के अन्य घरेलू उत्पादकों के समतुल्य है।

(v) विद्वान महानिदेशक का अनराउट एल्युमिनियम के मामले में निष्कर्ष कानून पर ध्यान दिए बिना और मौन दोनों हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर बनाम सिंथेटिक्स ऐंड केमिकल्स लि. और एएनआर [(1991) 4 एससीसी 139] के मामले में स्पष्ट रूप से यह माना है कि वह उस मसले जो कानून पर ध्यान दिए बिना और मौन दोनों है, के संबंध में निर्णय एक बाध्यकारी पूर्व उदाहरण नहीं है और इसे बाद के मामले के बारे में निर्णय लेते समय विचार किए जाने से उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

(vi) उपर्युक्त कारणों से, पूर्व के अंतिम जांच परिणाम पर फिर से विचार किया जाएगा और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को घरेलू उद्योग के एक अभिन्न हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा और इस प्रकार से विशेष आर्थिक क्षेत्र से डीटीए को आपूर्ति को रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से रोका जाएगा।

(iv) आवेदक घरेलू उद्योग – इंडियन सोलर मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ("घरेलू उद्योग" अथवा "डीआई")

30. जांच की शुरूआत की सूचना के उत्तर में और अपने लिखित अनुरोधों तथा घरेलू उद्योग द्वारा की गई मौखिक सुनवाई में अनुरोधः

(i) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सोलर सेल चाहे वे मॉड्यूलों अथवा पैनलों में असेंबल्ड हैं अथवा नहीं" है। व्यावहारिक प्रयोग के लिए, सोलर सेलों को पैक किया जाता है और असेंबली में जोड़ा जाता है तथा सोलर सेलों की इस असेंबली को सोलर पैनल अथवा सोलर मॉड्यूल कहा जाता है। सोलर पैनल में इलैक्ट्रिकल कनेक्शन वांछित आउटपुट वाट प्राप्त करने के लिए सीरीज को और/अथवा वांछित करेंट क्षमता प्रदान करने के लिए पैनल में किया जाता है। वित्त अधिनियम, 2020 की तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 2(ii) तथा दिनांक 02 फरवरी, 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 1/2020-सीमा शुल्क (एसजी) के मद्देनजर विद्यमान रक्षोपाय अर्थात 15 प्रतिशत शुल्क सीमा प्रशुल्क शीर्ष 85414011 और 85414012 के

तहत वर्गीकरणीय "सोलर सेल चाहे वे मॉड्यूलों अथवा पैनलों में असेंबल्ड हैं अथवा नहीं" पर लागू है। तथापि, प्रशुल्क शीर्ष केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह आयातित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। अकेले उत्पाद का विवरण रक्षोपायों को लागू करने के प्रयोजन के लिए निपटान योग्य होना चाहिए।

(ii) विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण दो प्रमुख प्रौद्योगिकियों (1) क्रिस्टलीन सिलिकॉन (सी-एसआई) आधारित सोलर सेल टेक्नोलॉजी, जो सिलिकॉन जल आधारित प्रौद्योगिकी के रूप में भी जानी जाती है, और (2) थिन फिल्म टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किया जा रहा है। सी-एसआई प्रौद्योगिकी एन-टाइप और पी-टाइप सिलिकॉन का प्रयोग कर सकती है तथा मोनो क्रिस्टलीन और मल्टी क्रिस्टलीन सिलिकॉन सामग्री का भी प्रयोग कर सकती है। थिन फिल्म प्रौद्योगिकी अमॉर्फस सिलिकॉन, कैडमियम टेलुरियम (सीडीटीई) अथवा सेमी कंडक्टर सामग्री के रूप में कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनियम का प्रयोग कर सकती है। सी-एसआई प्रौद्योगिकी और थिन फिल्म प्रौद्योगिकी, दोनों पर आधारित सोलर सेलों का भारत में आयात किया जाता है।

(iii) आवेदक केवल सी-एसआई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले न कि थिन फिल्म प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले सोलर सेलो/मॉड्यूलों/पैनलों का विनिर्माण करते हैं। ये उत्पाद सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों में व्यापार संबंधी मंत्रालयी घोषणा के संलग्नक क, भाग 1 के अंतर्गत शामिल हैं जो आम तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए-1) के रूप में जाने जाते हैं। चूंकि भारत आईटीए-1 पर हस्ताक्षरकर्ता है, अतः आयातित उत्पाद आधारभूत सीमा शुल्कों से छूटशुदा हैं। संगत प्रशुल्क शीर्ष सेलों, मॉड्यूलों और थिन फिल्म मॉड्यूलों को एक उत्पाद के रूप में अभिज्ञात करता है और इन तीनों प्रकारों अर्थात सी-एसआई सेलों, सी-एसआई सोलर मॉडयूलों/पैनलों और थिन फिल्म मॉड्यूलों/पैनलों पर लागू है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से नए, चिल्ड अथवा फ्रोजन लैम्ब मीट के आयातों संबंधी यूएस – रक्षोपाय में अपीलीय निकाय द्वारा माने गए अनुसार "समान वस्तु का क्षेत्र" निर्धारित करते समय उत्पादों की पहचान तथा उनके "समान अथवा सीधे प्रतिस्पर्द्धी" संबंध पर जोर दिया जाना चाहिए न कि इन प्रक्रियाओं पर जिनसे वे उत्पाद उत्पादित किए जाते हैं।

(iv) दोनों प्रकार के सोलर सेलों के बीच किसी वास्तविक अंतर के अभाव में, सी-एसआई प्रौद्योगिकी उत्पादों तथा थिन फिल्म प्रौद्योगिकी उत्पादों के बीच भिन्नता निकालने के किसी प्रयास से "समान अथवा सीधे ही प्रतिस्पर्द्धी उत्पाद" को परिभाषित करना नहीं होगा बल्कि उस समान अथवा सीधे ही प्रतिस्पर्द्धी उत्पाद का भाग होगा। यह दृष्टिकोण एओएस के अंतर्गत समान अथवा सीधे ही प्रतिस्पर्द्धी उत्पाद के निर्धारण के अनुरूप नहीं है तथा डोमोनिकन रिपब्लिक – रक्षोपायों में डब्ल्यूटीओ पैनलों को भी दोहराया गया है।

(v) प्रकार्य एवं अंतिम प्रयोग के संवर्ग में विनिर्मित दोनों सोलर सेलों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है क्योंकि सी-एसआई तथा थिन फिल्म प्रौद्योगिकियों दोनों पर आधारित सोलर सेलों का प्रयोग फोटोवोल्टेक प्रक्रिया अपनाकर बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। तद्नुसार, आयातित उत्पादों के संबंध में "सीधे ही प्रतिस्पर्द्धी/प्रतिस्थापनीय उत्पाद" के निर्धारण के लिए दोनों प्रकार के सोलर सेलों के बीच अंतर निकालने के लिए कोई आधार न होने पर विचाराधीन उत्पाद को "सोलर सेल चाहे वे मॉड्यूलों अथवा पैनलों में असेंबल्ड हैं अथवा नहीं" के रूप में सही निर्धारित किया गया है।

(vi) यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई जांचों में थिन फिल्म प्रौद्योगिकी उत्पादों को जांचाधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया था। तथापि, कनाडा ने इसे क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया था। थिन फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल करना और/अथवा हटाना प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर मामला दर मामला निर्धारण है। भारत में वर्तमान मामले में आने वाले तथ्य थिन फिल्मों को जांचाधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल करना अनिवार्य बनाते हैं अन्यथा पूरे कार्य के रक्षोपाय शुल्क की प्रवंचना हो सकती है क्योंकि आयातक शुल्कों से बचने के लिए आसानी से थिन फिल्मों में जा सकते हैं। "थिन फिल्म मॉड्यूलों" का आयात भी उसी शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है और सोलर सेलों/मॉड्यूलों जैसे आधारभूत सीमा शुल्क से छूटशुदा हैं।

(vii) प्रथम पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम में थिन फिल्मों को सी-एसआई प्रौद्योगिकी से बनाए गए सोलर मॉड्यूलों की समान वस्तु माना गया था और निम्नलिखित कारणों से विचाराधीन उत्पाद में शामिल किया गया था जो कि इस समीक्षा पर भी लागू हैं:

क. प्रौद्योगिकी में अंतर किसी भी प्रौद्योगिकी के माध्यम से सोलर पैनलों के अंतिम प्रयोगों को नहीं बदलता अथवा उसमें बाधा नहीं डालता;

ख. यहां तक कि यद्यपि प्रौद्योगिकी भिन्न है, तथापि दोनों प्रौद्योगिकी में अपनाया गया सिद्धांत समान अर्थात सनलाइट को बिजली में बदलने के लिए फोटोवोल्टेक प्रक्रिया है;

ग. यहां तक कि यद्यपि आधारभूत कच्ची सामग्री भिन्न है, तथापि दोनों प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत प्रवृत्त कच्ची सामग्री की तकनीकी विशेषता फोटोवोल्टेक प्रौद्योगिकी के अनुरूप होने के गुणों वाली है;

घ. क्रिस्टलीन सोलर सेल सेमी कंडक्टर पी-एन जंक्शन डायोड होते हैं जो रोशनी को बिजली में परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार, थिन फिल्म आधारित सोलर सेल भी सेमी कंडक्टर पी-एन जंक्शन डायोड हैं और रोशनी को बिजली में परिवर्तित करते हैं।

ङ. दोनों प्रौद्योगिकियों के बीच सीधी प्रतिस्पर्द्धा है क्योंकि दोनों प्रौद्योगिकियों के उत्पाद सोलर लाइट से विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं और विकासकर्ता आरंभिक स्तर पर अपनी विद्युत परियोजनाओं के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी को चुन सकते हैं और उसके बाद अलग-अलग लाइनों में साथ-साथ प्रयोग कर सकते हैं।

च. दोनों सामान दोनों प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत अंतिम प्रयोक्ता को मॉड्यूल अथवा पैनल के रूप में दिए जा सकते हैं।

छ. लागत/कीमत भी वाट प्रति यूनिट, सेल/मॉड्यूलों की दक्षता जैसे कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है और क्रिस्टलीन तथा थिम फिल्म उत्पादों के बीच बाजार परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धा भी सामान्यतः दोनों प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत इन्हीं कारकों के आधार पर होती है।

ज. सभी प्रौद्योगिकियों के सोलर सेल सामान्य प्रशुल्क शीर्ष में सामान्य सीमा शुल्क वर्गीकरण प्रशुल्क शीर्ष 8541 40 11 के अंतर्गत वर्गीकृत थे। 01.02.2020 से संशोधन के बाद भी थिन फिल्म मॉड्यूल प्रशुल्क शीर्ष 8541 40 12 के अंतर्गत शामिल हैं जिसमें सी-एसआई सोलर सेलों से बने सेलों वाले मॉड्यूल भी शामिल हैं।

झ. एक प्रौद्योगिकी के उत्पाद, जो दूसरी प्रौद्योगिकी के उत्पाद में प्रकार्यात्मक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, पर रक्षोपाय शुल्क लगाना निरर्थक होगा क्योंकि जिस उत्पाद पर शुल्क नहीं है, वह बाजार में दूसरे का स्थान ले सकता है।

ञ. डिस्कॉमों और सोलर पावर विकासकर्ताओं के बीच विद्युत क्रय करार सोलर पावर संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रौद्योगिकियों के बीच अंतर नहीं करता।

(viii) प्रशुल्क शीर्ष 85414011 (असेंबल न किए गए सोलर सेल) और प्रशुल्क शीर्ष 85414012 (मॉड्यूलों में असेंबल किए गए अथवा पैनलों में बनाए गए सोलर सेल) में विभाजित किए जा रहे प्रशुल्क शीर्ष 85414011 के बावजूद सेल और मॉड्यूल एक उत्पाद के रूप में माने जाने योग्य है। सोलर सेल तथा एक उत्पाद से मॉड्यूलों में व्यवस्थित किए गए सोलर सेल इस कारण विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कि सोलर मॉड्यूल कुछ नहीं है बल्कि सोलर सेलों की असेंबली है जो पैक किए जाते हैं तथा व्यावहारिक प्रयोग के लिए असेंबली में जोड़े जाते हैं। यूएस में सोलर सेलों के आयात संबंधी सुरक्षा जांच में यूएसआईटीसी के जांच परिणाम में सीएसपीवी सेलों, चाहे वे आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से अन्य उत्पादों में असेंबल किए गए हों अथवा नहीं, जो सभी रूपों वाले एकल घरेलू उत्पाद पर विचार किया गया था। यूएसआईटीसी ने पाया कि यद्यपि सीएसपीवी मॉड्यूल सीएसपीवी सेलों के "समान" नहीं है, तथापि वे रक्षोपाय संविधि के अभिप्राय से "सीधे ही प्रतिस्पर्द्धी" हैं। चूंकि, सीएसपीवी सेल सीएसपीवी मॉड्यूल के आधारभूत तथ्य हैं, अतः सेल और मॉड्यूल, दोनों में समान प्राथमिक भौतिक गुणधर्म हैं। सीएसपीवी सेलों की विशेषताएं, जो उन्हें सनलाइट से बिजली में परिवर्तित करने में सक्षम बनाती हैं, मॉड्यूल असेंबली प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होते हैं बल्कि सीएसपीवी सोलर प्रणालियों में मॉड्यूल का एक अनिवार्य प्रकार्य है। इसी प्रकार, सीएसपीवी मॉड्यूल, सीएसपीवी सेलों को शामिल किए बिना सनलाइट को बिजली में परिवर्तित करने का अपना इच्छित कार्य नहीं कर सकते। सीएसपीवी सेलों से सीएसपीवी मॉड्यूलों का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाएं प्रौद्योगिकिय रूप से अत्याधुनिक, सीएसपीवी सेलों का विनिर्माण करने की अपेक्षा अधिक श्रमसाध्य हैं और

उत्पाद में मूल्यवर्धन करते हैं, परंतु वे परिवर्तन की अपेक्षा सीएसपीवी सेलों का आधारभूत कार्य बढ़ाते हैं जो कि सनलाइट को बिजली में परिवर्तित करना है। सीएसपीवी सेल और सीएसपीवी मॉड्यूल दोनों फोटोवोल्टेक सोलर प्रणालियों में एकीकृत किए जाते हैं जो आवासीय, वाणिज्यिक और यूटिलिटी अनुप्रयोगों के लिए सनलाइट को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। सीएसपीवी सेलों का परिष्कृत सीएसपीवी मॉड्यूलों की कुल लागत का काफी भाग होता है तथा सेलों की कीमतें सामान्यतः जांच की अवधि के दौरान मॉड्यूल की कीमतों से सह-संबंध रखती हैं। इन कारणों से एक घरेलू उत्पाद को परिभाषित किया गया था जिसमें सीएसपीवी सेल और सीएसपीवी मॉड्यूल दोनों शामिल थे।

(ix) मलेशिया, ताइवना और संयुक्त राज्य अमेरिकी से आयातों के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के धारा 9क के अंतर्गत पाटनरोधी जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सोलर सेलों तथा मॉड्यूलों पर 22.05.2014 के अंतिम जांच परिणाम में लगभग समान कारणों से एक ही उत्पाद होने पर विचार किया था।

(x) आरईसी सोलर को भारत में कोई पैकेद प्रदान नहीं किया गया है और इसका साक्ष्य देने में विफल रहे हैं कि भारतीय क्रेता अंतिम प्रयोगों के लिए घरेलू रूप से उत्पादित सामानों का प्रयोग नहीं कर सकते तथा नहीं करते जिसके लिए वे आरईसी के पेटेंट शुदा उत्पादों का प्रयोग करते हैं। कई इंजीनियरी उत्पादों के पेटेंट होते तथा वे व्यापार उपचार जांचों के अध्यधीन भी होते क्योंकि वे बढ़े हुए आयातों/पाटन/सब्सिडीकरण की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं जिनसे आयातक देश में घरेलू उद्योग को क्षति होती है।

(xi) भारत में कई मामलों में व्यापार उपचार उपायों में पेटेंट शुदा उत्पादों को रखा है। 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच (23 मार्च, 2015 के अंतिम जांच परिणाम) में उल्लेख किया, जहां एक समान स्थिति में रक्षोपाय महानिदेशक ने क्षेत्र से उत्पाद को हटाने के लिए दावे को रद्द किया है। चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमलेस ट्यूब, पाइपों और लौह, अलॉय और नॉन-अलॉय स्टील के खोखले प्रोफाइल (कास्ट आयरन तथा स्टीनलेस स्टील को छोड़कर), चाहे वे गर्म परिष्कृत अथवा कोल्ड रोल्ड अथवा 355.6 एमएम या 14" ओडी से अनधिक बाहरी डायमीटर के कोल्ड रोल्ड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम में दिनांक 09 दिसंबर, 2016 को प्राधिकारी ने माना है कि पेटेंट शुदा सामान और अन्य सब-कैटेगिरी को तब तक विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता जब तक वे घरेलू समान सामानों के तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इस प्रकार हटाए जाने से प्रवंचना होगी।

(xii) चीन जन. गण., जापान, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान (चीनी तैपई), थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम, जिन पर आरईसी सोलर पीटीई लि. द्वारा विश्वास किया गया था, इन तथ्यों पर लागू नहीं है और इस कारण वर्तमान मामले की परिस्थितियों में कि यद्यपि पेटेंट का आवेदन भारत में किया गया है, उक्त पेटेंट अभी प्रदान नहीं किया गया है।

(xiii) यह अनुरोध करने के अलावा कि एल्फा उत्पाद उच्च गुणवत्ता का है, स्थल दक्ष है, स्वामित्व वाली उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है जो तथाकथित रूप से घरेलू उद्योग की कीमतों से उच्चतर कीमतों होने के नाते अपनी कीमतों में बढ़ता है, यह आरईसी सोलर पीटीई लि. का मामला नहीं बना है कि उनका उत्पाद सीधी प्रतिस्पर्धा में नहीं है और उसी अंतिम प्रयोग के लिए घरेलू समान उत्पाद से वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है। आरईसी सोलर पीटीई लि. ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जो यह दर्शाए कि प्रयोक्ताओं ने फोटोवोल्टेक प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन को छोड़कर अन्य प्रयोग के लिए उनके उत्पादों का प्रयोग किया है।

(xiv) उत्पाद क्षेत्र का निर्धारण करने में आयातित वस्तु की सीधे प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति के साथ घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु की समान अथवा सीधे ही प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति पर जोर होना चाहिए। विभिन्न प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पादित अनेक किस्मों के सोलर सेल दक्षता, कीमत, भौतिक विशेषताओं और समान आकार तथा भार आदि के संदर्भ में अलग-अलग होते हैं। इन अंतरों से केवल कीमत और दक्षता में ट्रेड ऑफ होता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा आयात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद का अंतिम प्रयोग समान अर्थात फोटोवोल्टेक प्रभाव के माध्यम से उत्पादन के लिए रहता है।